

जिलाधिकारी,
देहरादून।

सेवा में,

श्री दीपक बोरा,
पैनल अधिवक्ता,
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली।

संख्या 36 / एल0बी0सी0 / 2024

दिनांक 07 मई, 2024

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-463/2022 विपिन नैय्यर बनाम भारत संघ व अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.03.2024 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-463/2022 विपिन नैय्यर बनाम भारत संघ व अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.03.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसकी छायाप्रति इस कार्यालय में अनुपालनार्थ प्राप्त हुई है। आदेश में उल्लिखित I.A.No.311/2022, I.A No. 46/2023 & I.A No.47/2023 के सम्बन्ध में अनुपालन आख्या निम्नवत् है:-

अधोहस्ताक्षरी द्वारा पत्र संख्या-468/एल0बी0सी0-2023 दिनांक 16.12.2023 व संख्या-495/एल0बी0सी0-2023 दिनांक 04.01.2024 के माध्यम से नगर आयुक्त, नगर निगम ऋषिकेश, उप जिलाधिकारी ऋषिकेश व क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0) उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून को मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश 04.12.2023 (संलग्नक-01) के क्रम में अनुपालन आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये। उप जिलाधिकारी ऋषिकेश के पत्र संख्या-08/एस0पी0 ए0-एन0जी0टी0 पत्रा0-2024 दिनांक 11.01.2024 (संलग्नक-02) के द्वारा उपलब्ध करायी गई आख्या निम्नवत् है:-

01:- I.A Nos 46/2023 सिविल प्रक्रिया संहिता के Order 01 Rule 10(2) R/W Section 151 से सम्बन्धित है, जिसमें वादी सचिव शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन को प्रतिवादी संख्या-08 के तौर पर पक्षकार बनाना चाहता है, जिस सम्बन्ध में टिप्पणी किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

02:- I.A Nos 47/2023 सिविल प्रक्रिया संहिता के Order 06 Rule 17 R/W Section 151 से सम्बन्धित है, जिसमें वादी द्वारा अभिवचनों में संशोधन के क्रम में उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-1743/V-2/58(आ0)14/2016 Date 14-12-2016 एवं 1995/V-2-2017-58(आ0)/2014 Date 29-11-2017 को चुनौती दी है उनकी आख्या में यह भी उल्लेख किया गया है, कि उक्त दोनों शासनादेशों के सम्बन्ध में टिप्पणी किये जाने की इस स्तर से आवश्यकता नहीं है।

अधोहस्ताक्षरी के पत्र संख्या-10/एल0बी0सी0-2024 दिनांक 08.04.2024 व संख्या-11/एल0बी0सी0-2024 दिनांक 12.04.2024 (संलग्नक-03) के द्वारा उप जिलाधिकारी ऋषिकेश, नगर आयुक्त नगर निगम ऋषिकेश, प्रबन्धक यूजे0वी0एन0एल0 देहरादून व एएच-सी0जी0डब्ल्यूजी-यूआर देहरादून को संयुक्त निरीक्षण आख्या दिनांक 04.08.2022 के क्रम में अग्रेत्तर कार्यवाही/अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराये हेतु निर्देशित किया गया, जिसके क्रम में उप जिलाधिकारी के पत्र संख्या-59/एस0पी0ए0-एन0जी0टी0पत्रा0- दिनांक 12.04.2024 के द्वारा सहायक नगर आयुक्त नगर निगम ऋषिकेश, क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0) उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून सहायक अभियन्ता, सब-डिवीजन (गंगा) उत्तराखण्ड जल संस्थान ऋषिकेश की अनुपालन आख्या संलग्न है (संलग्नक-04)।

साथ ही महाप्रबन्धक (जा0अनु0) के पत्र संख्या-सी-36/यूजेवीएनलि0/01/प्र0नि0/म0प्र0(जान0अनु0)/एनजीटी दिनांक 12.04.2024 के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई आख्या में उल्लेख किया गया है, कि होटल गंगा फॉरेस्ट व्यू द्वारा चीला जलविद्युत परियोजना की फिल्टर टैन्च के उपर आवागमन हेतु अवैध पुलिया के निर्माण (परियोजना क्षेत्र में किया गया था) को यूजेवीएन लिमिटेड द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था, जिस पर होटल प्रबन्धन द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में वाद संख्या-WPMS NO-299/2022 दायर किया गया है जिस पर मा0 उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांकित 01.02.2022 के द्वारा अग्रिम आदेशों तक यथा स्थिति बनाये रखने के निर्देश दिये हैं। इस प्रकरण में वर्तमान में वर्तमान में विभागीय स्तर पर कोई भी कार्यवाही लम्बित नहीं है (संलग्नक-05)

आपके द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई I.A.No.311/2022 पर आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा पत्र संख्या-28/एल0बी0सी0-2024 दिनांक 30.04.2024 के माध्यम से उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून, नगर आयुक्त, नगर निगम ऋषिकेश, उप जिलाधिकारी ऋषिकेश, अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान ऋषिकेश, अधिशासी अभियन्ता उत्तराखण्ड पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऋषिकेश, जिला पर्यटन एवं विकास अधिकारी देहरादून व क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0) उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून को पत्राचार किया गया (संलग्नक-06)।

जिसके क्रम में उप जिलाधिकारी ऋषिकेश द्वारा अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड पॉवर कॉर्पोरेशन ऋषिकेश, सहायक नगर आयुक्त नगर निगम ऋषिकेश व सहायक अभियन्ता उत्तराखण्ड जल संस्थान ऋषिकेश की आख्या प्राप्त हुई है (संलग्नक-07)।

जिला पर्यटन विकास अधिकारी देहरादून ने पत्र संख्या-90/2-8-41/2024-25 दिनांक 02.05.2024 के द्वारा अपनी आख्या उपलब्ध करायी है, कि होटल गंगा फॉरेस्ट व्यू, वीरभद्र रोड, ऋषिकेश पूर्व से सराय एक्ट तथा उत्तराखण्ड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय नियमावली के अन्तर्गत यात्रियों एवं पर्यटकों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु पर्यटन विभाग में पंजीकृत है। साथ ही यह भी अवगत कराया गया है, कि हाईड-आउट कैफे रेस्टोरेंट उत्तराखण्ड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय नियमावली के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है। मा0 एन0जी0टी0/प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानको का उल्लंघन किये जाने की दशा में सम्बन्धित विभाग की संस्तुति के आधार पर उत्तराखण्ड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय नियमावली के तहत सम्बन्धित होटल के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी (संलग्नक-08)।

अधिशाली अभियन्ता, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० के पत्र संख्या-1115 / वि०वि०ख०/ऋ० दिनांक 02.05.2024 के द्वारा अवगत कराया गया कि होटल गंगा व्यू एवं हाइट आउट कैफे को विद्युत संयोजन के सन्दर्भ में संलग्न नोटिस प्रेषित किये गये हैं कि सक्षम आदेश प्राप्त होने पर नियमानुसार विद्युत विच्छेदन की कार्यवाही की जा सकती है (संलग्नक-09)।

अधिशाली अभियन्ता (सिविल) के पत्र संख्या-26/UJVNL/EE(C-Pashulok Barrage) दिनांक 04.05.2024 के द्वारा अवगत कराया गया है, कि I.A.No.311/2022 के सम्बन्ध में इस कार्यालय से कोई भी कार्यवाही अपेक्षित नहीं है (संलग्नक-10)।

क्षेत्रीय अधिकारी (प्र०) क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून के पत्र संख्या-यूकेपीसीबी/आर.ओ.डी./एन०जी०टी०-55/2024-24/ 434-265 दिनांक 06.05.2024 के द्वारा अवगत कराया गया है, कि उनके द्वारा उक्त प्रकरण में मा० अधिकरण में प्रति-शपथपत्र जमा किया गया है (संलग्नक-11)।

अतः उपरोक्तानुसार प्राप्त अनुपालन आख्या संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है, कि कृपया नियत तिथि को अधोहस्ताक्षरी का पक्ष मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष रखने हेतु आवश्यक शपथपत्र यथाशीघ्र तैयार कराकर समयन्तर्गत मा० अधिकरण में दाखिल करने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीया,



(सोनिका)

जिलाधिकारी

देहरादून।

प्रतिलिपि:- रजिस्ट्रार जनरल, मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को सादर सूचनार्थ प्रेषित।



जिलाधिकारी

देहरादून।

229

कार्यालय जित

मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण / समयबद्ध।
देहरादून।

संख्या ५६९ / एल0बी0सी0-2023

दिनांक 16 दिसम्बर, 2023

सेवा में,

उप जिलाधिकारी,
ऋषिकेश।

- 2:- नगर आयुक्त,
नगर निगम ऋषिकेश।
- 3:- क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0),
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून।

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-463/2022 विपिन नैय्यर बनाम भारत संघ व अन्य में दिनांक 04.12.2023 को पारित आदेश के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक श्री राहुल वर्मा, अपर महाधिवक्ता, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के ई-मेल पत्र दिनांक 08.12.2023 के साथ संलग्न मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-463/2022 विपिन नैय्यर बनाम भारत संघ व अन्य में दिनांक 04.12.2023 को पारित आदेश का संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें 01 माह के भीतर अनुपालन आख्या/रिपोर्ट मा0 एन0जी0टी0 को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः उक्त संदर्भित आदेश दिनांक 04.12.2023 कि छायाप्रति मय संलग्नक संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है, कि मा0 एन0जी0टी0 के निर्देशानुसार अपेक्षित आवश्यक समयबद्ध एवं शीघ्र प्राथमिकता के आधार पर करते हुए कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करायें।

संलग्न-यथोपरि।

संलग्न-यथोपरि।


(सांनिका)
जिलाधिकारी
देहरादून।
१८

- प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 01:- सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून।
- 02:- सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून।
- 03:- सहायक अभियन्ता (प्रथम ज़ुप खण्ड), ऋषिकेश सिचाई खण्ड देहरादून।


जिलाधिकारी
देहरादून।
१८

१८/१२/२३

230

समयबद्ध / महत्वपूर्ण / अनुस्मारक-2

कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून।

संख्या 495 / एल0बी0सी0-2023

दिनांक 04 जनवरी, 2024

- 1:- नगर आयुक्त,
नगर निगम ऋषिकेश।
- 2:- उप जिलाधिकारी,
ऋषिकेश।
- 3:- क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0),
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून।

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे योजित मूल आवेदन संख्या-463/2022 विपिन नैय्यर बनाम भारत संघ व अन्य मे दिनांक 04.12.2023 को पारित आदेश के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या-468/एल0बी0सी0- 2023 दिनांक 16.12.2023, संख्या-483/एल0बी0सी0-2023 दिनांक 28.12.2023 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे योजित मूल आवेदन संख्या-463/2022 विपिन नैय्यर बनाम भारत संघ व अन्य मे दिनांक 04.12.2023 को पारित आदेश के अनुपालन मे 01 माह के भीतर अनुपालन आख्या/रिपोर्ट मा0 एन0जी0टी0 को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे। प्रश्नगत प्रकरण मे की गई कृत कार्यवाही/अनुपालन आख्या से आतिथि तक इस कार्यालय को अवगत नही कराया गया है, जो कि अत्यंत खेदजनक स्थिति है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है, कि मा0 एन0जी0टी0 के निर्देशानुसार अनुपालन आख्या/रिपोर्ट दिनांक 10.01.2024 से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ताकि वांछित अनुपालन आख्या/रिपोर्ट ससमय मा0 एन0जी0टी0 को प्रेषित की जा सके। प्रकरण मे अग्रिम तिथि दिनांक 15.01.2024 नियत है।
संलग्न-यथोपरि।

(सांनिका)
जिलाधिकारी
देहरादून।

- प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 01:- सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून।
 - 02:- सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून।
 - 03:- सहायक अभियन्ता (प्रथम उप खण्ड) ऋषिकेश सिचाई खण्ड देहरादून।

(सांनिका)
जिलाधिकारी
देहरादून।

04/01/24

231

Item No.7

(Court No. 2)

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

(Through Physical Hearing with Hybrid V.C. Option)

Original Application No.463/2022
(I.A. No. 311/2022, I.A No. 46/2023 & I.A. No. 47/2023)

Vipin Nayyar

Applicant

Versus

Union of India & Ors

Respondents

Date of hearing: 04.12.2023

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE ARUN KUMAR TYAGI, JUDICIAL MEMBER.
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER.**

Applicant: Applicant in Person.

Respondent: Mr. Rahul Verma AAG for Respondent no. 3 & 5.
(Through VC)
Mr. Mukesh Verma Advocate for Respondent no. 4.

ORDER

1. Reply/response has been filed by respondent no. 4-UKPCB vide email dated 06.02.2023.
2. We have gone through the reply and we find that respondent no. 4 has not adverted to the environmental questions raised in the application by the original applicant and even the status of the applications for consent submitted by the respondents no. 6 and 7 to UKPCB has not been mentioned. It may also be added here that despite expiry of more than 9 month subsequent to the filing of above said reply, no further

2699
12/12/23

LBC
Y. N. J.

ADMCFIR)

reply/response has been filed by the respondent no. 4 to inform this Tribunal about the current status of the above said consent applications.

3. Additional reply with reference to the averments made in the applications and observations made in the report of the Joint Committee and current status of the consent applications be filed by UKPCB **within two months** through **E-filing portal (not through E-mail)** in the **form of searchable PDF/OCR Support PDF** (not in the form of Image PDF).

4. Replies to and I.A No. 46/2023 & I.A. No. 47/2023 have not filed by respondents no. 3 and 5 and respondent no. 4.

5. Learned Counsel for respondents no. 3 and 5 and respondent no. 4 seek adjournment for filing of reply to I.A Nos. 46/2023 and 47/2023 on the ground that copies thereof were not supplied to them.

6. The Applicant is directed to supply the copies of original application and I.A No. 46/2023 & I.A. No. 47/2023 and documents attached therewith to respondents no. 3 and 5 and respondent no. 4.

7. Replies to I.A Nos. 46/2023 and 47/2023 be also filed by respondents no. 3 and 5 and respondent no. 4 **within one month** through **E-filing portal (not through E-mail)** in the **form of searchable PDF/OCR Support PDF** (not in the form of Image PDF).

8. List for further consideration on 15.01.2024.

Arun Kumar Tyagi, JM

December 04th, 2023

N

Dr. Afroz Ahmad, EM

सेवा में,

जिलाधिकारी
देहरादून।

233

पत्र 12-1-23

संख्या: 8/एस0पी0ए0- एन0जी0टी0 पत्रा0-2024 दिनांक 11 जनवरी 2024
विषय- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन
संख्या-463/2022 विपिन नैय्यर बनाम भारत संघ व अन्य में
दिनांक 04.12.2023 को पारित आदेश के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त अपने कार्यालय पत्र संख्या 468/एल0बी0सी0-2023 दिनांक 16 दिसम्बर 2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। जिसके द्वारा श्री राहुल वर्मा, अपर महा अधिवक्ता, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के ई-मेल पत्र दिनांक 08.12.2023 के साथ संलग्न मा0 मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-463/2022 विपिन नैय्यर बनाम भारत संघ व अन्य में दिनांक 04.12.2023 को पारित आदेश का सन्दर्भ ग्रहण करते हुये अनुपालन आख्या/रिपोर्ट/रपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गये थे।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के उपरोक्त आदेश के क्रम में वादी विपिन नैय्यर द्वारा अधिकरण में दाखिल I.A Nos 46/2023 एवं 47/2023 के क्रम में आख्या निम्नवत् है-

1- I.A Nos 46/2023 सिविल प्रक्रिया संहिता के ORDER 01 RULE 10(2) R/W SECTION 151 से सम्बन्धित है। जिसमें वादी सचिव शहरी विकास, उत्तराखण्ड सरकार को प्रतिवादी संख्या-08 के तौर पर पक्षकार बनाना चाहता है। जिस सम्बन्ध में अद्योहस्ताक्षरियों के स्तर से टिप्पणी किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

2- I.A Nos 47/2023 सिविल प्रक्रिया संहिता के ORDER 06 RULE 17 R/W SECTION 151 से सम्बन्धित है। जिसमें वादी द्वारा अभिवचनों में संशोधन के क्रम में उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 1743/V-2/58 (आ0) 14/2016 Dated 14-12-2016 एवं 1995/V-2-2017-58 (आ0)/2014 Dated 29.11.2017 को चुनौती दी है।

महोदय उक्त दोनों शासनादेशों के सम्बन्ध में टिप्पणी किए जाने की अद्योहस्ताक्षरियों के स्तर से आवश्यकता नहीं है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में प्रतिवादी संख्या-03 की ओर से प्रत्युत्तर प्रेषित किए जाने से पूर्व जिला शासकीय अधिवक्ता से विधिक राय लिया जाना भी उचित होगा।

Rik
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
देहरादून।

W
नगर अभ्युक्त
नगर निगम ऋषिकेश।

W
उप जिलाधिकारी,
ऋषिकेश।
उप जिलाधिकारी
ऋषिकेश

कार्यालय जिलाधिकारी, देहरादून।

संख्या : 10 LBC

-2024

234

दिनांक : 08 अप्रैल, 2024

1. उप जिलाधिकारी, ऋषिकेश।
2. क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0) उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून।
3. नगर आयुक्त, नगर निगम ऋषिकेश।
4. प्रबन्धक, यू0जे0वी0एन0एल0 देहरादून।
5. एएच-सी0जी0डब्ल्यूबी-यूआर देहरादून।

विषय :- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण मे योजित मूल आवेदन संख्या-463/2022 विपिन नैययर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मे गठित संयुक्त जॉच समिति की आख्या दिनांक 04.08.2022 के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है, कि संयुक्त जॉच समिति द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति की संयुक्त निरीक्षण दिनांक 04.08.2022 को करने के उपरान्त क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0) उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक 15.09.2022 के साथ संयुक्त जॉच संलग्न कर सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण को प्रेषित की गई थी।

अतः संयुक्त जॉच समिति की आख्या दिनांक 04.08.2022 की प्रति संलग्न कर आपको इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है, कि इस आख्या के प्रकाश मे तीन के भीतर आपके स्तर से की गई अग्रेत्तर कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें। प्रकरण मे मा0 एन0जी0टी0 से सम्बन्धित होने के कारण आपका व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।
संलग्नक :- यथोपरि।


(सोनिका)
जिलाधिकारी,
-देहरादून।


10/4/24

235 मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण/महत्वपूर्ण/समयबद्ध।
कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून।

संख्या 11 / एल0बी0सी0-2024

दिनांक 2 अप्रैल, 2024

- 01:- उप जिलाधिकारी, ऋषिकेश।
02:- नगर आयुक्त, नगर निगम ऋषिकेश।
03:- प्रबन्धक, यू0जे0वी0एन0एल0 देहरादून।
04:- एएच-सी0जी0डब्ल्यूजी-यूआर देहरादून।

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-463/2022 विपिन नैय्यर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में गठित संयुक्त जाँच समिति की आख्या दिनांक 04.08.2022 के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक अधोहस्ताक्षरी के पत्र संख्या-10/एल0बी0सी0-2024 दिनांक 08.04.2024 का संदर्भ ग्रहण करे, जिसमें प्रश्नगत सम्पत्ति की संयुक्त निरीक्षण आख्या दिनांक 04.08.2022 के क्रम में तीन दिन के भीतर अग्रेत्तर कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराने के निर्देश दिये गये थे (प्रति संलग्न)। किन्तु आपके द्वारा प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध अग्रेत्तर कार्यवाही/अनुपालन आख्या आतिथि तक इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं करायी गई है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है, कि प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में आज ही अग्रेत्तर कार्यवाही/अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्न-यथोपरि।


12/04/24

Mokesh K. Kaul

UTVV L

(9897059297)

8
12/4/24



(सोनिका)
जिलाधिकारी,
देहरादून।

प्रषक,

उप जिलाधिकारी,
ऋषिकेश।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

967 236 LBC
22-04-24

ADMC/IR
22-04-24

संख्या: 59 / एस0पी0ए0-एनजीटी पत्रा0-

दिनांक: 12 अप्रैल 2024

विषय- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या-463- /2022
विपिन नैययर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में गठित संयुक्त जांच समिति की
आख्या दिनांक 04.08.2024 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र संख्या 10/LBC - 2024 दिनांक 08
अप्रैल 2024 एवं पत्र संख्या 11/एल0बी0सी0-2024 दिनांक 12 अप्रैल 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने
का कष्ट करे। जिसके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन
संख्या-463- /2022 विपिन नैययर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में संयुक्त जांच समिति द्वारा
प्रश्नगत सम्पत्ति की संयुक्त निरीक्षण आख्या दिनांक 04.08.2022 को की गयी थी। उक्त प्रश्नगत
प्रकरण के सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्यवाही/अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया
है।

महोदय, उक्त के सम्बन्ध में सादर अवगत करना कि अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक
संख्या 293/एस0पी0ए0-एनजीटी पत्रा0- दिनांक 11 अप्रैल 2024 (संलग्न-1) के द्वारा सहायक
नगर आयुक्त, नगर निगम ऋषिकेश, क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0) उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
देहरादून, सहायक अभियन्ता, सब- डिवीजन (गंगा) उत्तराखण्ड जल संस्थान ऋषिकेश से मा0
राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या-463- /2022 विपिन नैययर बनाम यूनियन
ऑफ इंडिया में संयुक्त समिति द्वारा की गयी पूर्व संयुक्त निरीक्षण आख्या दिनांक 04.08.2022
(संलग्न-2) के सम्बन्ध में आतिथि तक की गयी अग्रेत्तर अनुपालन कार्यवाही उपलब्ध कराने हेतु
पत्राचार किया गया।

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या-463- /2022 विपिन
नैययर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में संयुक्त समिति द्वारा की गयी पूर्व संयुक्त निरीक्षण आख्या
दिनांक 04.08.2022 के सम्बन्ध में सहायक नगर आयुक्त, नगर निगम ऋषिकेश, क्षेत्रीय अधिकारी
(प्र0) उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून, सहायक अभियन्ता, सब- डिवीजन (गंगा)
उत्तराखण्ड जल संस्थान ऋषिकेश द्वारा अनुपालन कार्यवाही अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रेषित की
गयी। जिन्हें मूल रूप में संलग्न कर यथोचित कार्यवाही हेतु महोदय की सेवा में सादर प्रेषित की जा
रही है।

संलग्न-यथोपरि।

18/04/24

Am Sin/IR

भवदीय,

(कुमकुम जोशी)
उप जिलाधिकारी,
ऋषिकेश।

कार्यालय— उप जिलाधिकारी ऋषिकेश।

संख्या: 223 /एसएपीएफ-एनएजीटी/पत्रा-

दिनांक: 11 अप्रैल 2024

- 1- सहायक नगर आयुक्त,
नगर निगम ऋषिकेश।
- 2- क्षेत्रीय अधिकारी (प्र०) उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून।
- 3- सहायक अभियन्ता, सव-डिवीजन (गंगा)
उत्तराखण्ड जल संस्थान ऋषिकेश।

विषय— मा० राष्ट्रीय ठरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या-463-483/2022 विपिन नैयदर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में गठित संयुक्त जांच समिति की आख्या दिनांक 04.08.2024 के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक जिलाधिकारी महोदय, देहरादून के संलग्न कार्यालय आदेश संख्या 10/LBC - 2024 दिनांक 08 अप्रैल 2024 का सम्बन्ध ग्रहण करने का कष्ट करे। जिसके द्वारा निर्देशित किया गया है कि संयुक्त जांच समिति द्वारा प्ररनगत सम्पत्ति की संयुक्त निरीक्षण आख्या दिनांक 04.08.2022 को करने के उपरान्त क्षेत्रीय अधिकारी (प्र०) उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक 15.09.2022 के साथ संयुक्त जांच आख्या संलग्न कर सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून को प्रेषित की गई थी। उक्त संयुक्त जांच आख्या दिनांक 04.08.2022 की प्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रेषित की गयी है कि इस आख्या के प्रकारा में तीन दिन के भीतर अग्रोत्तर कार्यवाही से अवगत कराना सुनिश्चित करे।

अतः उक्त संयुक्त निरीक्षण आख्या दिनांक 04.08.2022 की प्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है कि पूर्व संयुक्त जांच आख्या के क्रम में आतिथि तक की गयी अग्रोत्तर कार्यवाही अविलम्ब अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
संलग्न—यथोपरि।

(कुमुकुम जर्जा)
उप जिलाधिकारी,
ऋषिकेश।

प्रतिलिपि—

- 1- जिलाधिकारी महोदय, देहरादून की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- आयुक्त महोदय, नगर निगम ऋषिकेश की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(कुमुकुम जर्जा)
उप जिलाधिकारी,
ऋषिकेश।



कार्यालय:- नगर निगम ऋषिकेश।

• हरिद्वार रोड ऋषिकेश, जिला-देहरादून, पिन-249201

☎: www.nagarnigamrshikesh.com, ✉: npprshikesh@gmail.com

☎: 0135-243-0015, ☎: 18003135292



नगर निगम ऋषिकेश

पत्रांक:- 83/सा0प्र0/2024

दिनांक:- 12/04/2024

सेवा में,

उपजिलाधिकारी महोदया,
ऋषिकेश।

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में प्रेषित-मूल आवेदन संख्या-463/482/2022 विपिन
नैथ्यर व नाम युनियन ऑफ इण्डिया में गठित संयुक्त जांच समिति की आख्या दिनांक:-
04/08/2024 के साक्ष्य में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्रांक-293/एस0पी0ए0-एन0जी0टी0
पत्रांक-दिनांक:-11/04/2024 के क्रम में पत्र में वर्णित दोनों प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया-

1. गंगा फोरेस्ट का आज दिनांक-12.04.2024 को सायं-04:30 बजे गंगा फोरेस्ट ब्यू का निरीक्षण किया गया जिसमें ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के तहत होटल के लीज ओनर श्री रविकान्त राजपूत से यूजर चार्ज के सम्बन्ध में रसीद मांगी गई है, जो इनके द्वारा प्रस्तुत कर दी गयी है जिसमें बताया गया कि अब इनके द्वारा प्रतिष्ठाह-नियमित रूप से यूजर चार्ज जमा किया जा रहा है।
2. हाईड आउट गंगा कैफे- उक्त कैफे का निरीक्षण किया गया है जिसमें ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के तहत हाईड आउट गंगा कैफे के द्वारा यूजर चार्ज जमा किया जा रहा है व रसीद प्रस्तुत की गयी है।


(संतोष गुसाई)

सफाई निरीक्षक
नगर निगम ऋषिकेश


(चन्द्रकान्त भट्ट)

सहायक नगर आयुक्त
नगर निगम ऋषिकेश



कार्यालय, सहायक अभियन्ता-डिवीजन (गंगा),

उत्तराखण्ड जल संस्थान, ऋषिकेश।

निकट अरवलीन होटल, हीराताल रोड ऋषिकेश, देहरादून।

mailto:orgganga@vgmail.com

या में,

उपजिलाधिकारी महोदया,
ऋषिकेश।

पत्रांक- 16 / ऋषि0जलो0यो0 / 2024-25 दिनांक- 12.04.2024

विषय- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन सं0- 463/482/2022 विपिन नैययर व नाम युनियन ऑफ इण्डिया में गठित संयुक्त जोड़ समिति की आख्या दिनांक- 08.04.2024 के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक- 293/एस0पी0ए0-एन0जी0टी0 पत्रा0 दिनांक- 11.04.2044 क्रम में पत्र में वर्णित दोनों प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय निम्न अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित थे।

1. श्री हरीश कुमार बंसल, सहायक अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, ऋषिकेश।
2. श्री आशीष कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, ऋषिकेश।
3. श्री संतोष गुंसाई, सफाई निरीक्षक, नगर निगम, ऋषिकेश।

1. गंगा फोरेस्ट व्यू- आज दिनांक- 12.04.2024 को सांय 4:30 बजे गंगा फोरेस्ट व्यू का निरीक्षण किया गया, जिसके दौरान पाया गया कि उक्त स्थान पर सीवर लाइन नहीं है। होटल के लीज ऑनर श्री रविकान्त राजपूत द्वारा अवगत कराया गया कि शौचालय हेतु सैप्टिक टैंक बना है, जोकि पल्लो टाईल्स के नीचे दबा है। उक्त सैप्टिक टैंक खाली कराये जाने की कोई रसीद/देयक उनके द्वारा प्रस्तुत करने में असमर्थता व्यक्त की गयी।
2. हाईड आउट गंगा कैफे- उक्त कैफे का निरीक्षण किया गया, जिसके दौरान पाया गया कि हाईड आउट गंगा कैफे के शौचालयों को सीवर से जोड़ा गया है, जिसके बिल का भुगतान उत्तराखण्ड जल संस्थान को किया जा रहा है।

(संतोष गुंसाई)
सफाई निरीक्षक
नगर निगम,
ऋषिकेश।

(आशीष कुमार)
कनिष्ठ अभियन्ता
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
ऋषिकेश।

(हरीश कुमार बंसल)
सहायक अभियन्ता
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
ऋषिकेश।

240

(15)

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
ई-115, नेहरू कॉलोनी, देहरादून-248001



REGIONAL OFFICE
Uttarakhand Pollution Control Board
E-115, Nehru Colony, Dehradun-248001

पत्रांक सं०-यूकेपीसीबी/आरओडी/एन.जी.टी.-65/2024-25/119 - 58

दिनांक 12/04/24

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदया,
देहरादून।

विषय- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या-483/2022 विपिन नैयर बनाम युनियन ऑफ इंडिया में गठित संयुक्त जांच समिति की आख्या दिनांक 04.08.2022 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक कार्यालय जिलाधिकारी, देहरादून के पत्रांक संख्या-10/LBC-2024 दिनांक 08, अप्रैल, 2024, जिसमें संयुक्त जांच समिति द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति की संयुक्त निरीक्षण दिनांक 04.08.2022 में इस कार्यालय स्तर से की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में चाहा गया है, के अनुपालन में इस कार्यालय द्वारा वर्तमान तक की गई कार्यवाही आपके अवलोकनार्थ सादर प्रेषित है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय

Ric

(डा आर०के० चतुर्वेदी)
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र०)

प्रतिलिपि-उप जिलाधिकारी, ऋषिकेश को उनके पत्रांक संख्या-293/एस०पी०ए०-एन०जी०टी० पत्रा०- दिनांक 11 अप्रैल, 2024 के अनुपालन में सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी (प्र०)



241

File No. 241/2023
Date: 05.12.2023

गुण्ड्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"
46बी, आर्इ0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून
Web : www.ueppcb.uk.gov.in, E-mail : msukpcb@yahoo.com

पत्रांक-यूकेपीसीबी/एचओ/सहमति/जी-230/2023/159 R

दिनांक :- 05.12.2023

सेवा में,

मै0 होटल गंगा फोरेस्ट व्यू,
86 एवं 86/2, गली नं0-6,
वीरभद्र मार्ग, ऋषिकेश।

विषय :- मै0 होटल गंगा फोरेस्ट व्यू, वीरभद्र मार्ग, ऋषिकेश को निर्गत कारण बताओ नोटिस एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक उद्योग को इस कार्यालय के पत्र सं0-यूकेपीसीबी/एचओ/सहमति/जी-230/2022/35 दिनांक 07.11.2022 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम-1974 की धारा-33(ए) एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम-1981 की धारा-31(ए) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की आख्या दिनांक 07.01.2023 के अनुसार होटल द्वारा कारण बताओ नोटिस में वर्णित बिन्दुओं का अनुपालन कर लिया गया है और दिनांक 07.11.2022 से 05.12.2022 तक पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि ₹0-43,500/- (रुपये तैतालीस हजार पांच सौ मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें। होटल द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम-1974 की धारा-25 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम-1981 की धारा-21 के अन्तर्गत बोर्ड से जल/वायु सहमति प्राप्त किये बिना संचालन नहीं किया जाये।

भवदीय

(एस0के0 पटनायक)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :- क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Ms-152/2023
HL

श्री
संलग्न
को डोर

उपरोक्त में जमा कराया है
श्री
10/12/2023

सदस्य सचिव



242
Uttarakhand Pollution Control Board
"Gaura Devi Paryavaran Bhawan"
46B, IT Park, Sahasradhara Road, Dehra Dun (Uttarakhand)

Web : www.ukpcb.ub.gov.in, E-mail : mspcb@yahoo.com

UKPCB/HO/Con/G-230/2022/ 35

Date: 07/11/2022

Speed Post

To,

M/s Hotel Ganga Forest View,
86 and 86/2, Gali No.-6,
Veerbhadra Marg, Rishikesh.

Directions under Section 33(A) of Water (Prevention and Control of Pollution) Act-1974 and Section 31(A) of Air (Prevention and Control of Pollution) Act - 1981

WHEREAS, the Central Government has made the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981; and vide provisions of this Act every water/air polluting industry/unit/operation/processes is required to obtain consent to establish and consent to operate from the State Pollution Control Board; and

WHEREAS, as per Section-25 of the Water (Prevention and Control of Pollution Act, 1974 and Section-21 of the Air (Prevention and Control of Pollution Act, 1981 as amended, it is the mandatory requirement for any industry plant, operation or process, or any treatment and disposal system or any extension or addition thereto, which is likely to discharge sewage or trade effluent into a stream or well or sewer or on land; to obtain prior Consent from the Board; and

WHEREAS, for the purposes of protecting and improving the quality of environment and preventing and abating environmental pollution, the standards for discharge of environmental pollutants from the industries, operations or processes, have been specified under the Environment (Protection) Rules, 1986; and it is mandatory to every industries, operations or processes to keep their effluent quality within the specified norms; and

WHEREAS, in compliance of the order passed by Hon'ble NGT on dated 05.07.2022 in O.A. no. 463/2022 (I.A. No. 157/2022) Vipin Nayyar Vs Union of India & Ors., inspection of M/s Hotel Ganga Forest View, Rishikesh was carried out by the joint committee on dated 04.08.2022 and made following observations :-

- 1 आवासीय सम्पत्ति, वगर पतिका सम्पत्ति सं०-८६/१, का भाग रकबा 152.48 वर्गमीटर, जिसमें दो आवासीय भवन क्षेत्रफल 227.15 वर्गमीटर, भूतल 108.27 वर्गमीटर व प्रथम तल 118.88 वर्गमीटर विभित है। स्थित वीरभद्र मार्ग, मौजा ऋषिकेश, परगना परगदून, तहसील-ऋषिकेश, जिला-देहरादून, जिसमें 12 कमरे संघालित है।
- 2 निरीक्षण के दौरान पाया गया कि M/s Hotel Ganga Forest View की संरचना गंगा नदी बाढ़ मैदान परिक्षेत्र की 25 वर्षीय बाढ़ आवृत्ति परिक्षेत्र की सीमा से बाहर विभित है।
- 3 गंगा नदी से M/s Hotel Ganga Forest View की औसत दूरी 28 मीटर पायी गयी व HFL of River Ganga at Hotel Site 335-50 MSL है।
- 4 होटल में कुल 12 कमरे हैं, जिनसे जलित परेडू उपग्रह के निस्तारण हेतु सेंट्रिक टैंक/सोकपिट की व्यवस्था की गयी है। होटल के उपग्रह बाहर निस्तारित होता पाया गया। वर्तमान में रिपोर्ट के संवाहन हेतु जल/वायु अधिनियम के अन्तर्गत सहमति प्राप्त नहीं है।
- 5 होटल के द्वारा वीला विद्युत परियोजना की फिस्टर ट्रेनव के उपर आवागमन हेतु पुलिया का निर्माण किया गया, जिस अतिक्रमण को सूचीबद्धकृत नि० के द्वारा विभित पुलिया के कुछ हिस्से अतिक्रमण मुक्त किया गया था, जिस पर होटल प्रबन्धक के द्वारा मा० उच्च न्यायालय में वाद दायर किया गया, जिस पर मा० उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा वाद सं०-WPMS No. 299/2022 में पारित आदेश दिनांक 01.02.2022 के द्वारा यथास्थिति बनाये रखने हेतु पारित हुआ।

शिकायतकर्ता द्वारा मती संख्या-6 के मार्ग में 02 एच0पी0 का नोडोले विहित करवाया गया, जिससे होटल में जलापूर्ति के लिए स्वानीय निकास/सी0जी0डब्ल्यू0ए0 की स्वीकृतियां प्राप्त नहीं की गयी हैं।

AS SUCH, it is evident from the above observations that the hotel has violated the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 as amended thereafter and is in operation without obtaining consent to operate of the Board.

NOW THEREFORE, in exercise of the power conferred under Section 33(A) of the Water (Prevention and Control of Pollution), Act-1974 and Section 31(A) of the Air (Prevention and Control of Pollution), Act-1981 as amended with approval of the competent authority of the Board, you are directed :

1. To Show Cause within 30 days of time from issue of this notice to the undersigned, why your hotel not be closed down under the provisions of above Act and concerned authorities be directed to discontinue your power and water supply.
2. To Show Cause why not Environment Compensation of ₹ 1,500/- per day shall be imposed on the Unit for violation of Environment norms till compliance of the directions.

(S.P.Subudhi)
Member Secretary.

Copy to :-

1. District Magistrate, Dehradun for kind information please.
2. Regional Officer (I/c), Uttarakhand Pollution Control Board, Dehradun for information and necessary compliance.
3. Guard File.

Member Secretary



LIFE
Lifestyle For
Environment

244



भारत सरकार
श्री नरिन - श्री परिवार - श्री भविष्य

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

ई-115, नेहरू कॉलोनी, देहरादून-248001
टेलीफोन नं.-0135-3593200

पत्रांक सं०-यूकेपीसीबी/आरओडी/NGT-55 /2023-24/4653 - 1882

दिनांक: 31/01/24

सेवा में,

सदस्य सचिव महोदय,
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"
46बी, आई.टी. पार्क, सहस्रधारा रोड,
देहरादून।

विषय-मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-463/2022 (I.A No.-46/2023 & I.A. No.47/2023) Vipin Nayyar V.s Union of India & Ors तथा मै० होटल गंगा फरिस्ट व्यू, वीरभद्र मार्ग, ऋषिकेश, के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक यूकेपीसीबी/एच.ओ./सा.-183-576/2023/1146, दिनांक 22.12.2023 के क्रम में मा० एन०जी०टी० में प्रकरण में I.A No.-46/2023 & I.A. No.47/2023 में reply/response दाखिल किये जाने हेतु प्रकरण से सम्बंधित होटल/रिसोर्ट के सहमति की अद्यतन स्थिति इस कार्यालय से उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था। तत्क्रम में इस कार्यालय द्वारा पत्रांक संख्या-यूकेपीसीबी/आरओडी/NGT-55 /2023-24/4236-1656 दिनांक 26.12.2023 द्वारा प्रतिउत्तर प्रेषित किया गया था। प्रकरण पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 04.01.2024 में एक समिति का गठन किया गया। समिति द्वारा दिनांक 05.01.2024 को होटल का निरीक्षण किया गया था। (आख्या संलग्न)। निरीक्षण आख्यानुसार-

1. उक्त होटल में 11 कमरें, 01 स्टोर रूम तथा एक किचन है।
2. घरेलू उत्स्रवाह का निस्तारण सैप्टिक टैंक/सोकपिट के माध्यम से किया जा रहा है। बाहर कोई निस्तारण होता नहीं पाया गया।
3. पूर्व में उक्त होटल पर बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू.-43,500/-आरोपित की गयी थी, जिसको होटल स्वामी द्वारा बोर्ड में जमा करा दिया गया है।
4. होटल को प्रोविजनल जल/वायु सहमति निर्गत कर दी गयी है।

अतः होटल को निर्गत कारण बताओ निर्देशों को वापिस लिये जाने की संस्तुति सहित आख्या सादर प्रेषित।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डॉ आर.के. चतुर्वेदी)
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र०)

04/01/24

कार्यालय उपजिलाधिकारी, ऋषिकेश, जिला-देहरादून के पत्रांक संख्या 07/एस0पी0ए0-विधि पत्रा0 2024. दिनांक 04 जनवरी 2024 के अनुक्रम में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या 463/2022 विविन नैथ्यर बनाम भारत व अन्य में दिनांक 04.12.2023 को परित आवेश के सम्बंध में संयुक्त निरीक्षण दिनांक 05.01.2024 को किया गया, निरीक्षण के समय निम्न बिन्दु प्रकारा में आये:-

- मै0 गंगा फॉरेस्ट घू, 86/86-1, स्टर्बिया कॉलोनी, गली नं.-04, वीरमन्न रोड ऋषिकेश, देहरादून।
- 1. उक्त होटल में 11 कमरें, 01 स्टोर रूम तथा एक किचन है।
- 2. घरेलू उत्प्रवाह का निस्तारण सैटिक टैंक/सोफपिट के माध्यम से किया जा रहा है। बाहर कोई निस्तारण होता नहीं पाया गया।
- 3. होटल द्वारा जल-वायु अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड से सहमति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया था, जिसे बांछित दस्तावेजों हेतु वापस कर दिया गया था, अतिथि तक पुनः आवेदन जमा नहीं किया गया है।
- 4. पूर्व में उक्त होटल पर बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रु.-43,500/-आरोपित की गयी थी, जिसको होटल स्वामी द्वारा बोर्ड में जमा करा दिया गया है।
- मै0 हाइड आउट कैफे, 232/4, बैराज रोड, कोयल घाटी, गंगा विहार कालोनी, ऋषिकेश, देहरादून।
- 1. उक्त कैफे 45 सीट क्षमता का (सीटिंग कैपेसिटी) रेस्टोरेंट है।
- 2. घरेलू उत्प्रवाह का निस्तारण सीवर लाईन के माध्यम से किया जा रहा है।
- 3. कैफे को दिनांक 30.09.2027 तक बोर्ड से सहमति प्राप्त है।
- 4. कैफे में 15 के.वी.ए. का डी.जी.सेट स्थापित है।

अतः आख्या आपके अलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत।

(संजय डिमरी)
सहा0वैज्ञा0अधि0

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

PIL



246

केन्द्रीय कार्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
#-118, गैंगल कॉलोनी, देहरादून-248001
टेलीफोन नं.-0128-2622200.

पत्रांक सं०-यूकेपीसीबी/आएओ/NCIT-53/2023-24/49,36 - 18 B-6

दिनांक: 26/12/23

सेवा में,

सदस्य सचिव महोदय,
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"
46बी, आई.टी. पार्क, सहस्रधारा रोड,
देहरादून।

विषय-मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली में जोड़ित मूल आवेदन संख्या-463/2022 (I.A No.-46/2023 & I.A. No.47/2023) Vipin Nayyar V.s Union of India & Ors के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक यूकेपीसीबी/एच.ओ./सा.-183-578/2023/1148, दिनांक 22.12.2023 के क्रम में मा० एन०जी०टी० द्वारा प्रकरण में आच्छादित होटल/रिसोर्ट की अद्यतन स्थिति एवं प्रकरण में I.A No.-46/2023 & I.A. No.47/2023 में reply/response दाखिल किये जाने हेतु प्रकरण से सम्बंधित होटल/रिसोर्ट के सहमति की अद्यतन स्थिति एवं I.A. में Parawise Narrative इस कार्यालय से उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

तत्कम में अद्यतन कराना है कि मूल आवेदन संख्या 463/2022 में 0 कैफ़े हाइड आउट रेस्टारेंट, 232/4, बैराज रोड, कोयल घाटी, गंगा विहार कालोनी, ऋषिकेश, देहरादून तथा मै० होटल गंगा फॉरेस्ट व्यू, वीरभद्र मार्ग, ऋषिकेश, देहरादून के सम्बंध में हैं।

1. मै० कैफ़े हाइड आउट रेस्टारेंट, 232/4, बैराज रोड, कोयल घाटी, गंगा विहार कालोनी, ऋषिकेश, देहरादून को दिनांक 30.09.2027 तक सहमति प्राप्त है। (छायाप्रति संलग्न)
2. मै० होटल गंगा फॉरेस्ट व्यू, वीरभद्र मार्ग, ऋषिकेश, देहरादून पर बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक यूकेपीसीबी/एच.ओ./सहमति जी-230/2023/1598 दिनांक 03.02.2023 के द्वारा रु. -43,500/-की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित की गयी थी। होटल द्वारा उपरोक्त क्षतिपूर्ति राशि बोर्ड मुख्यालय में दिनांक 20.03.2023 को जमा करने की सूचना दी गयी है (छायाप्रति संलग्न) तथा होटल द्वारा जल-वायु सहमति हेतु एप्लीकेशन आई.डी. 3281035 द्वारा आवेदन किया गया था, (छायाप्रति संलग्न) जिसे इस कार्यालय द्वारा दिनांक 21.12.2022 को प्रपत्रों हेतु वापिस कर दिया गया था, जिस होटल द्वारा वर्तमान तक जमा नही किया गया है।
3. प्रकरण से सम्बंधित I.A 46 & 47 में दिये गये बिन्दु शासन स्तर से सम्बंधित है।

सूचनाार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

Ric

(डॉ आर.के. चतुर्वेदी)
केन्द्रीय अधिकारी(प्र०)

Or

संख्या-08/एस0पी0ए0- एन0जी0डी0 पत्रा0-2024 दिनांक 11 जनवरी 2024
विषय- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन
संख्या-463/2022 विपिन नैथ्यर बनाम भारत संघ व अन्य में
दिनांक 04.12.2023 को पारित आदेश के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त अपने कार्यालय पत्र संख्या 468/एल0पी0सी0-2023 दिनांक 16 दिसम्बर 2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। जिसके द्वारा श्री राहुल वर्मा, अपर महा अधिवक्ता, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के ई-मेल पत्र दिनांक 08.12.2023 के साथ संलग्न मा0 मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-463/2022 विपिन नैथ्यर बनाम भारत संघ व अन्य में दिनांक 04.12.2023 को पारित आदेश का सन्दर्भ ग्रहण करते हुये अनुपालन आख्या/रिपोर्ट/रपोट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गये थे।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के उपरोक्त आदेश के क्रम में वादी विपिन नैथ्यर द्वारा अधिकरण में दाखिल I.A Nos 46/2023 एवं 47/2023 के क्रम में आख्या निम्नवत् है-

1- I.A Nos 46/2023 सिविल प्रक्रिया संहिता के ORDER 01 RULE 10(2) R/W SECTION 151 से सम्बन्धित है। जिसमें वादी सचिव शहरी विकास, उत्तराखण्ड सरकार को प्रतिवादी संख्या-08 के तौर पर पक्षकार बनाना चाहता है। जिस सम्बन्ध में अद्योहस्ताक्षरियों के स्तर से टिप्पणी किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

2- I.A Nos 47/2023 सिविल प्रक्रिया संहिता के ORDER 06 RULE 17 R/W SECTION 151 से सम्बन्धित है। जिसमें वादी द्वारा अभिवचनों में संशोधन के क्रम में उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 1743/V-2/58 (आ0) 14/2016 Dated 14-12-2016 एवं 1995/V-2-2017-58 (आ0) /2014 Dated 29.11.2017 को चुनौती दी है।

महोदय उक्त दोनों शासनादेशों के सम्बन्ध में टिप्पणी किए जाने की अद्योहस्ताक्षरियों के स्तर से आवश्यकता नहीं है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में प्रतिवादी संख्या-03 की ओर से प्रत्युत्तर प्रेषित किए जाने से पूर्व जिला शासकीय अधिवक्ता से विधिक राय लिया जाना भी उचित होगा।

Pik
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
देहरादून।

(U)
नगर आयुक्त
नगर निगम ऋषिकेश।

उप जिलाधिकारी,
ऋषिकेश।
उप जिलाधिकारी,
ऋषिकेश।

गंगा राष्ट्रीय हरित अधिकांश में घोषित मूल अधिनियम संख्या-463/2022 (I.A. No. 157/2022) Vipin Nayar Vs. Union of India & Ors. में पारित आदेश दिनांक 08.08.2022 के अन्तर्गत में M/s Hotel Ganga Forest View एवं Cafe M/s Hilde Out Cafe के संयुक्त निरीक्षण के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक गंगा राष्ट्रीय हरित अधिकांश में घोषित मूल अधिनियम संख्या-463/2022 (I.A. No. 157/2022) Vipin Nayar Vs. Union of India & Ors. में पारित आदेश दिनांक 08.07.2022 में संदर्भित M/s Hotel Ganga Forest View एवं Cafe M/s Hilde Out Cafe की निरीक्षण हेतु निम्न किगामी की रायका समिति द्वारा निरीक्षण कर प्रेषित करने के निर्देश दिये गये।

- 1- Director, National Mission for Clean Ganga
- 2- Member Secretary, SIIAA
- 3- Regional Director, Central Ground Water Board, Uttaranchal Region
4. Managing Director, U.J.V.N. Ltd. Dehradun,
5. District Magistrate, Dehradun

तत्कथ में उपरोक्त विभागों द्वारा निम्न सदस्य को नामित किया गया, जिसमें से राज्य स्तरीय पर्यावरण सभाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) उत्तराखण्ड राज्य में अधिरूचित नहीं होने के कारण सदस्य नामित नहीं किया।

1. Sh. Shailendra Singh Negi, SDM, Rishikesh
2. Sh. Faiz Ullah Khan, Enforcement Coordinator (Legal MNCG), Sh. Kumar Ajabah, Project Officer (Legal MNCG)
3. Dr. Vikas Tomar, AH-CGWB- UR Dehradun
4. Sh. Sanjeev Lohani, G.M. UJVNL Ltd. Dehradun
5. Dr. R.K. Chaturvedi, Regional Officer, Sh. Rakesh Kandari, ABE, UKPCB

निरीक्षण के समय होटल/कैफे के प्रतिनिधि श्री रश्मिकंत एवं श्री नितिन देव एवं शिकायतकर्ता श्री विगिन नैयर व उपस्थित अधिकारी एवं अन्य की उपस्थिति संलग्न है। (संलग्नक-1)

उपरोक्त नामित सदस्यों की समिति एवं अन्य अधिकारियों द्वारा दिनांक 04.08.2022 को M/s Hotel Ganga Forest View, 86 Gall No. 06, Veerbhadra Marg (Aastha Path) Rishikesh एवं Restaurant M/s Hilde Out Cafe, 232/4, Aastha Path, Behind Durga Mata Mandir, Ganga Vihar Colony, Koyal Ghati Rishikesh का निरीक्षण रिपोर्ट के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया गया। बिन्दुवार आख्या निम्नवत् है-

M/s Hotel Ganga Forest View, 86 Gall No. 06, Veerbhadra Marg (Aastha Path) Rishikesh:


1. आवासीय सम्पत्ति, नगर पालिका सम्पत्ति सं-86/1, का भाग रकबा 152.48 वर्गमीटर, जिसमें दो आवासीय भवन क्षेत्रफल 227.15 वर्गमीटर, भूतल 108.27 वर्गमीटर व प्रथम तल 118.88 वर्गमीटर निर्मित है। स्थित वीरगढ़ मार्ग, मौजा त्रधिकेश, परगना परवादून, तहसील त्रधिकेश जिला देहरादून, जिसमें 12 कमरे संतानित है। (संलग्नक-2)
2. निरीक्षण के दौरान पाया गया कि M/s Hotel Ganga Forest View की संरचना गंगा नदी बाढ़ मैदान परिक्षेत्र की 25 वर्षीय बाढ़ आवृत्ति परिक्षेत्र की सीमा से बाहर निर्मित है। Latitude-30.089386, Longitude-78.290366 व Physical Demarcation संलग्न है (संलग्नक-3)
3. गंगा नदी से M/s Hotel Ganga Forest View की औसत दूरी 28 मीटर पायी गयी व HFI. of River Ganga at Hotel Site 335-50 MSL है।
4. होटल में कुल 12 कमरे हैं, जिससे जगित घरेलू उत्सवाह के निस्तारण हेतु रोप्टिक टैंक/ सोकापेट की व्यवस्था की गयी है। होटल के उत्सवाह बाहर निस्तारित होता पाया गया। वर्तमान में रिपोर्ट के संवाहन हेतु जल/वायु अधिनियम के अन्तर्गत सहमति प्राप्त नहीं है।
5. होटल के द्वारा योजना विद्युत परियोजना की मिन्टर ट्रेन्च के उपर आवागमन हेतु पुलिया का निर्माण किया गया है, जिस अतिक्रमण को यूजीवीएनएल लि0 के द्वारा निर्मित पुलिया के कुछ हिस्से अतिक्रमण मुक्त किया गया था, जिस पर होटल प्रबन्धक के द्वारा गंगा उच्च न्यायालय में वाद दायर किया गया।


Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.


- जिस पर गौ उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा वाद संख्या- W/PMS No. 299/2022 में पारित आदेश दिनांक 01.02.2022 के द्वारा यथारिथि बनाये रखने हेतु पारित हुआ। (संलग्नक-4)
6. शिकायतकर्ता श्री विधिग नियंत्र द्वारा गली संख्या-8 के मार्ग में 02 एम0पी0 का बोरवेल चिन्हित कराया गया, जिससे होटल में जलापूर्ति होती है, जिसके लिये स्थानीय निकाय/सी.जी डब्ल्यू.ए. की स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी है।

M/s Hide Out Café, 332/4, Ansika Path, Behind Durga Mata Mandir, Ganga Vihar Colony, Koyal Ghati Rishikesh


1. व्यवसायिक सम्पत्ति, नगर निगम सम्पत्ति सं-232 वग भाग, भूमि खसरा नं-298 नि0जु0 विधीत संख्या-351 वर्ग गज यानि 293.58 वर्गमीटर, जिसमें 61.89 वर्गमीटर भूतल पर व्यवसायिक निर्माण व 61.89 वर्गमीटर प्रथम तल पर व्यवसायिक निर्माण युक्त व्यवसायिक निर्माण 123.78 वर्गमीटर तथा खाली क्षेत्रफल 231.69 वर्गमीटर व्यवसायिक उपयोग वाली भूमि है व 14.89 वर्गमीटर में टिन शीट निर्मित है। स्थित हरिद्वार मार्ग गंगा विहार, गौजा त्रापिकेश, ताहसील त्रापिकेश, जिला देहरादून में 15 टेबलरयुक्त 60 रीटर्स कैफे संचालित है। (संलग्नक-5)
2. निरीक्षण के दौरान पाया गया कि M/s Hide Out Café की संरचना गंगा नदी बाढ़ मैदान परिक्षेत्र की 25 वर्षीय बाढ़ आवृत्ति परिक्षेत्र की सीमा से बाहर निर्मित है। Latitude-30.095909, longitude-78.288435 व Physical Demarcation संलग्न है। (संलग्नक-6)
3. गंगा नदी से M/s Hide Out Café की औसत दूरी 09 मीटर पायी गयी व HFL of River Ganga at Hotel Site 335.50 ML है।
4. Hide Out Café में जलापूर्ति उत्तराखण्ड गेजजल संस्थान से की जाती है व जनित परेल्स उत्प्रायह के निरंतरण हेतु रीवर लाइन से रीवर संयोजन किया गया, जिसकी उपभोक्ता संख्या-RII6AIPN02M22B020994391 है, भुगतान की प्राप्ति (संलग्नक-7)
5. कैफे के संचालन हेतु जल/वायु अतिवियोग के अनुबंध सहमति प्राप्त नहीं है।
6. **विक्रय पत्र प्रस्तुत किन्तु राशनी प्रस्तुत नहीं की गयी।**
निरीक्षण आख्या आपके अवलोकन एवं अधिग आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।



(राजेश कण्डवारी)
सहायक अभियन्ता
यूकेपीसीबी, देहरादून


(फैज उल्लाह खान)
इन्फोसिमेंट कोर्डिनेटर
एन0एम0सी0जी0
दिल्ली


(कुमार अजिताग)
प्रोजेक्ट मैनेजर
एन0एम0सी0जी0
दिल्ली


(डा0 विकास तोमर)
एएच-सीजीडब्ल्यूसी-यूआर
देहरादून


(डा0 आर0के0 चतुर्वेदी)
क्षेत्रीय अधिकारी
यूकेपीसीबी, देहरादून


(संजीव लोहानी)
जी0एम0
यूजेवीएनएल,
देहरादून

4
(शैलेन्द्र शिंह नेगी)
उप जिलाधिकारी
त्रापिकेश

नगर निगम, ऋषिकेश, देहरादून
त्रिवेणी सेना
(वेस्ट कलेक्शन यूजर चार्जेज) प्राप्ति रसीद

रसीद संख्या 448986

आवासीय

व्यवसायिक

दिनांक 5/4/24

मो० नं०

प. फोस्टल्य

ग. ग. नं० 25

रु० 1000/-

तद्विषय से वास्ते मा. फ. 20
मा. 20

1000/-

भवन स्वामी/ किरायेदार/ व्यवसायिक

कं. क. कलेक्शन हेतु प्राप्त किये

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता
नाम

वाडं नं०/ नाप

समूह का नाम

नगर निगम ऋणिकोश, देहरादून

यूजर चार्जेज प्राप्ति रसीद

भवन स्वामी व्यवसायिक

सैंट संख्या-

419208

दिनांक 10/1/2021

वा.गा. फोर स्ट आर.यू. नं. 6390246018

श्री. विकास काशीजी

नं. 10 छतार मार्ग श्री 250 भवन स्वामी किरायेदार

अधिक प्रतिष्ठान से वास्तु मह. अर्थात् 2500/- के कूडा कलेक्शन हेतु प्राप्त किया

रकम प्राप्त कर

नाम

बहाल न

2500/-

वाड-17
उ व र निगम ऋषिकेश, देहरादून

यूजर चार्ज प्राप्त रसीद

रसीद संख्या- 418801

भवन स्वामी व्यवसायिक

दिनांक

6/1/024

मो. नं.

8077037924

नाम Hidreod cafe

पता गंगा नगर

(शब्दों में) रु. 6 हजार रूप.

भवन स्वामी/किरायेदार

व्यवसायिक प्रतिष्ठान से वास्ते माह जून 20 के कड़ा बिलवशन हेतु प्राप्त किये

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता

नाम G. D. Patel

वाहन नं.

₹ 6000

नगर निगम, ऋषिकेश, देहरादून
त्रिवेणी सेना
(वेस्ट कलेक्शन यूजर चार्ज) प्राप्ति रसीद

रसीद संख्या

455133

आवासीय व्यवसायिक

दिनांक 13/4/24

मो० नं०.....

नाम Hideout Ganga cafe

पता Ganga Vihar

(शब्दों में) रू० ५२५२५५०

भवन स्वामी/ किरायेदार/ व्यवसायिक

प्रतिष्ठान से वास्ते माह. ५२५२५५० 20 मई के कूड़ा कलेक्शन हेतु प्राप्त किये

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता:

नाम

Bansal

वार्ड सं०/ नाम

17

समूह का नाम

₹ 2000

MoU Conservation and Climate Change
164-2024 254 961
22-04-24



यूजेवीएन लिमिटेड

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

UJVN LIMITED

(A Govt. of Uttarakhand Enterprise)

कार्यालय महाप्रबन्धक, जानपद अनुस्वास्थ्य "गंगा भवन", यमुना कॉलोनी, देहरादून-248001 दूरभाष: 0135-2531029 फैक्स: 0135-2530684
General Manager (Civil Maintenance) "Ganga Bhawan", Yamuna Colony, Dehradun-248001 Phone: 0135- 2531029, Fax: 0135-2530684

CIN No. 40101UR2001SGC025866

ISO9001:2008 Certified

AD.
2204-24

पत्रांक: C-36/यूजेवीएनलि0/01/प्र0नि0/म0प्र0 (जान0अनु0)/एनजीटी दिनांक 12/04 2024

जिलाधिकारी
देहरादून।

विषय- मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या-463/2022 विपिन नैययर बनाम यूनिवर्स ऑफ इंडिया में गठित संयुक्त जांच समिति की आख्या दिनांक 04.08.2022 के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि उपरोक्त प्रकरण हेतु गठित संयुक्त जांच समिति की आख्या पत्रांक यूकेपीसीबी/आरओडी/NGT-55/2022-23/2561-1267 दिनांक 15.09.2022 (प्रतिलिपि संलग्न) के बिन्दु संख्या 05, जोकि यूजेवीएन लिमिटेड से सम्बन्धित है के सम्बन्ध में इस विभाग द्वारा कृत कार्यपवाही से अवगत कराया जा चुका है। इस सम्बन्ध में पुनः अवगत कराना है कि होटल गंगा फॉरेस्ट ह्यू द्वारा चीला जलविद्युत परियोजना की फिल्टर टैन्च के ऊपर आवागमन हेतु अवैध पुलिया के निर्माण (परियोजना क्षेत्र में किया गया था) को यूजेवीएन लिमिटेड द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था जिस पर होटल प्रबन्धक द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में वाद संख्या -WPMS No 299/2022 के द्वारा वाद दायर किया गया है जिस पर मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 01 फरवरी 2022 के द्वारा अग्रिम आदेशों तक यथा स्थिति बनाये रखते हेतु निर्देश दिये गये है। इस प्रकरण में वर्तमान में इस विभाग के द्वारा कोई भी कार्यवाही लम्बित नहीं है।

अतः सादर सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नक-यथोपरि।

1687
18-04-24
Arun K. L. / [Signature]

[Signature]
(संजीव लोहनी)
General Manager (Civil Maintenance)
UJVN Ltd., Ganga Bhawan
Yamuna Colony, Dehradun

प्रतिलिपि -

- निदेशक (परिचालनाएँ), "उज्ज्वल" महारानी बाग, जी0एम0एस0 रोड, देहरादून को उनसे हुई वार्ता के क्रम में प्रेषित।

nm

255

मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण/मह...

कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून।

संख्या 28 / एल0बी0सी0-2024

दिनांक 3 अप्रैल, 2024

- 01:- उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।
02:- नगर आयुक्त, नगर निगम ऋषिकेश।
03:- उप जिलाधिकारी, ऋषिकेश।
04:- अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान ऋषिकेश।
05:- अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऋषिकेश।
06:- जिला पर्यटन एवं विकास अधिकारी, देहरादून।
07:- क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-463/2022 विपिन नैय्यर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में I.A.No.311/2022 पर आख्या उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-463/2022 विपिन नैय्यर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में पारित आदेश दिनांक 22.03.2024 का संदर्भ ग्रहण ले, जिसमें I.A.No.311/2022 पर आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः प्राप्त निर्देशों के क्रम में I.A.No.311/2022 कि छायाप्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जा रही है, कि सम्बन्धित आवेदन में उल्लिखित तथ्यों के सम्बन्ध में अपने-अपने विभाग से सम्बन्धित बिन्दुवार आख्या 02 दिन के अन्दर इस कार्यालय कराना सुनिश्चित करें। प्रकरण मा0 एन0जी0टी0 से सम्बन्धित होने के कारण आपका व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।

संलग्न-यथोपरि।

(7)

(सोनिता)
जिलाधिकारी,
देहरादून।

8/5/24

9

256

प्रेषक,

उप जिलाधिकारी
ऋषिकेश।

सेवा में,

जिलाधिकारी
देहरादून।

पत्र संख्या - 78 / एस0पी0ए0 / 2024

दिनांक 04.05.2024

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-463/2022, विपिन नैययर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में आई0ए0 न0 311/2022 पर आख्या उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्र संख्या 28/एल0बी0सी0-2024 दिनांक 30.04.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के अनुपालन में मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-463/2022, विपिन नैययर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में आई0ए0 न0 311/2022 के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता उत्तराखण्ड पावर कार्पोरेशन ऋषिकेश एवं सहायक नगर आयुक्त नगर निगम ऋषिकेश एवं सहायक अभियन्ता उत्तराखण्ड जल संस्थान ऋषिकेश से आख्या प्राप्त की गयी।

अतः उपरोक्तानुसार उपलब्ध करायी गयी आख्या मूलरूप में सलंगन कर महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

सलंगनक-यथोपरि।

भवदीय

(कुमकुम जोशी)
उप जिलाधिकारी
ऋषिकेश।



कार्यालय नगर निगम, ऋषिकेश।

हरिद्वार रोड़ ऋषिकेश, जिला देहरादून पिन कोड-249201
www.nagarnigamrishikesh.com, D-4: npprishikesh@gmail.com
T: 0135-2430015, Q: 18003135292



फॉन: 87/1000/2024
सेवा में

पत्रांक:- 273/सा10प्रशा10/2024-26

दिनांक :- 02/05/2024

सेवा में,
जिलाधिकारी महोदया,
जनपद-देहरादून।

विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित गूल आवेदन संख्या-463/2022 विपिन नैय्यर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में I.A.No.311/2022 पर आख्या उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपरोक्त विषयक कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून के पत्रांक सं0- 28/एल0वी0सी0-2024 दिनांक 30 अप्रैल 2024 के आदेशानुपालन में नगर निगम ऋषिकेश द्वारा दिनांक 12 अप्रैल 2024 को जल संस्थान के साथ गंगा फोरेस्ट व्यू एवं हाईड आउट गंगा कैफे का संयुक्त निरीक्षण किया गया है साथ ही नगर निगम ऋषिकेश द्वारा दिनांक 15.04.2024 को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत भी निरीक्षण किया गया है, जिसकी आख्या संलग्न कर महोदया की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्न:-

1. जल संस्थान एवं नगर निगम ऋषिकेश के संयुक्त निरीक्षण आख्या।
2. नगर निगम ऋषिकेश द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत निरीक्षक आख्या।

भवदीय,

सहायक नगर आयुक्त
नगर निगम, ऋषिकेश।

प्रतिलिपि:- नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम ऋषिकेश को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक नगर आयुक्त
नगर निगम, ऋषिकेश।

mail.com
15/08/2024



कार्यालय:- नगरीय नगम ऋषिकेश।

• हरिद्वार रोड ऋषिकेश, जिला-देहरादून, पिन-249201

☎: www.nangalgramrishikesh.com, 54: nprishikesh@gmail.com

☎: 0135-243-0015, ☎: 18003115292



नगर निगम ऋषिकेश

पत्रांक:- 87/सा0प्र0/2024

दिनांक:- 15/08/2024

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदया,
जनपद-देहरादून।

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या:-463/482/2022 विपिन नैय्यर व नाम यूनियन ऑफ इण्डिया में गठित संयुक्त जांच समिति की आख्या दिनांक:-04/08/2024 के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या:-463/482/2022 विपिन नैय्यर व नाम यूनियन ऑफ इण्डिया में गठित संयुक्त जांच समिति की आख्या दिनांक:-04/08/2024 के सम्बन्ध में की गयी नगर निगम ऋषिकेश की ओर से अद्यतन कार्यवाही की आख्या निम्नानुसार है:-

वर्णित दोनों प्रतिष्ठानों का आज दिनांक:-12/04/2024 को सायं-4:30 बजे निरीक्षण किया गया और पाया गया की-

1. **गंगा फॉरेस्ट व्यू:-** गंगा फॉरेस्ट व्यू के निरीक्षण के दौरान, जिसमें ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के तहत होटल के लीज ओनर श्री रविकान्त राजपूत से यूजर चार्ज के सम्बन्ध में रसीद मांगी गई है, जो इनके द्वारा प्रस्तुत कर दी गयी है। जिसमें पाया गया कि अब इनके द्वारा प्रतिमाह नियमित रूप से यूजर चार्ज जमा किया जा रहा है, होटल के अन्दर सफाई व्यवस्था संतोषजनक पाई गयी।
2. **हाईड आउट गंगा कैफे:-** उक्त कैफे का निरीक्षण किया गया है, जिसमें ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के तहत हाईड आउट गंगा कैफे के द्वारा यूजर चार्ज जमा किया जा रहा है व रसीद प्रस्तुत की गयी है कैफे में सफाई व्यवस्था संतोषजनक पाई गयी।।

अतः उपरोक्तानुसार आख्या महोदया की सेवा में सादर प्रेषित।

१

(संतोष गुसाईं)

सफाई निरीक्षक

नगर निगम ऋषिकेश।

२

(चन्द्रकान्त भट्ट)

सहायक नगर आयुक्त,

नगर निगम ऋषिकेश।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित

1. नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम ऋषिकेश।
2. उप जिलाधिकारी महोदया, ऋषिकेश।

सहायक नगर आयुक्त,
नगर निगम ऋषिकेश।



कार्यालय, सहायक अभियन्ता, सब-डिवीजन (गंगा),
उत्तराखण्ड जल संस्थान, ऋषिकेश।
प्लॉट अमोका हॉटल, तीरालाल रोड ऋषिकेश, उत्तराखण्ड।

mailto:regangaujs@gmail.com



सेवा मे.
उपजिलाधिकारी महोदय,
ऋषिकेश।

पत्रांक- 16 / ऋषि0जलो0यो0 / 2024-25 दिनांक- 12.04.2024

विषय- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन सं0- 463/482/2022 विपिन नेययर व नाम युनियन ऑफ इण्डिया में गठित संयुक्त जॉच समिति की आख्या दिनांक- 04.08.2024 के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक- 293/एस0पी0ए0-एन0जी0टी0 पत्रा0 दिनांक- 11.04.2044 क्रम में पत्र में वर्णित दोनों प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय निम्न अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित थे।

1. श्री हरीश कुमार वंसल, सहायक अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, ऋषिकेश।
2. श्री आशीष कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, ऋषिकेश।
3. श्री संतोष गुंसाई, सफाई निरीक्षक, नगर निगम, ऋषिकेश।

1. गंगा फोरेस्ट व्यू- आज दिनांक- 12.04.2024 को सांय 4:30 वजे गंगा फोरेस्ट व्यू का निरीक्षण किया गया, जिसके दौरान पाया गया कि उक्त स्थान पर सीवर लाइन नहीं है। हॉटल के लॉज ऑनर श्री रविकान्त राजपूत द्वारा अवगत कराया गया कि शौचालय हेतु सैप्टिक टैंक बना है, जोकि फ्लोर टाइल्स के नीचे दबा है। उक्त सैप्टिक टैंक खाली कराये जाने की कोई रसीद/देयक उनके द्वारा प्रस्तुत करने में असमर्थता व्यक्त की गयी।

2. हाईड आउट गंगा कैफे- उक्त कैफे का निरीक्षण किया गया, जिसके दौरान पाया गया कि हाईड आउट गंगा कैफे के शौचालयों को सीवर से जोड़ा गया है, जिसके बिल का भुगतान उत्तराखण्ड जल संस्थान को किया जा रहा है।


(संतोष गुंसाई)
सफाई निरीक्षक
नगर निगम,
ऋषिकेश।


(आशीष कुमार)
कनिष्ठ अभियन्ता
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
ऋषिकेश।


(हरीश कुमार वंसल)
सहायक अभियन्ता
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
ऋषिकेश।



कार्यालय, सहायक ~~RTI~~, सब-डिवीजन(गंगा),
उत्तराखण्ड जल संस्थान, ऋषिकेश।

निकट अशोका होटल, हीरालाल रोड़ ऋषिकेश, देहरादून Email- neujsganga@gmail.com

सेवा में,

उपजिलाधिकारी महोदया,

ऋषिकेश।

पत्रांक- 36

/ऋषि0जलो0यो0 /2024-25

दिनांक- 02/05/24

विषय- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन सं0- 463/2022 विपिन
नैययर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में I.A. No. 311/2022 पर आख्या उपलब्ध कराये जाने
के संबंध में।

महोदया,

उपरोक्त विषयक कार्यालय जिलाधिकारी महोदया, देहरादून के पत्रांक-
28/एल0बी0सी0-2024 दिनांक- 30.04.2024 के क्रम में चाही गयी आख्या के अन्तर्गत मा0 राष्ट्रीय
हरित अधिकरण में दायर वाद विपिन नैययर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं ओ0आर0एस0 के
ORIGINAL APPLICATION NO. 463 OF 2022 के INDEX में Sl. No.- 05 के अन्तर्गत True
Copy of the RTI application dated 19.11.2022 filed before Assistant Engineer, Uttarakhand Jal
Sansthan, Rishikesh along with its reply dated 26.11.2022 की प्रतिलिपि (True Copy) संलग्न कर
प्रेषित है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार (04 नग प्रपत्र)

भवदीय

(हरीश कुमार बंसल)

सहायक अभियन्ता

उत्तराखण्ड जल संस्थान

जल मूल्य / सीवर शीट / सीवर संयोजन शुल्क / जल स्तम्भ शुल्क

उपभोक्ता संख्या :	RI16NPN02N22B020994391	विल सं० :	2020/4 /RI16NPN02N22B020994391
मांग संख्या / संयोजन संख्या :	04950/NP1083	विल दिनांक :	01-08-2020
षी/ कीमती :	षी मानव जोहूर/षी मनजीत जोहूर	विल अवधि :	04/2020 से 07/2020
पंचा बिहार हरिद्वार रोड क्व.बिकेश		देय तिथि :	25-08-2020
		विच्छेदन तिथि :	31-08-2020
		संयोजन की श्रेणी :	Low Head/NonDomestic/15 MM
बिलिंग का प्रकार	मासिक औसत /20000	सीवरदेज-	-/-

देय बिल का विस्तृत विवरण

अवशेष धनराशि का विवरण

मद का नाम	रूपये में	मद का नाम	रूपये में
जल मूल्य	4715.00	अवशेष जल मूल्य	0.00
सीवर संयोजन/शीट शुल्क	0.00	अवशेष सीवर संयोजन/शीट शुल्क	0.00
मीटर किराया	0.00	अवशेष मीटर किराया	0.00
अन्य मांग	0.00	अवशेष अन्य मांग	0.00
डिस्ट्रिब्यूशन चैक की राशि	0.00	अवशेष मांग	0
विलम्ब शुल्क	0.00	अस्थाई जमा(-)	95.00
वर्तमान मांग	4715		
कुल देय तिथि तक(-)	0.00	कुल देय तिथि तक	4620

भुगतान की स्थिति इस बिल का भुगतान नहीं किया गया है

भुगतान धनराशि

शाखा का नाम W.W Rishikesh

कलैक्शन सेंटर का नाम Rishikesh Nagar Palika

राजस्व अधीक्षक/ विल लिपिक

अधिशासी अभियन्ता/ जलकल अभियन्ता / सहायक अभियन्ता

उत्तराखण्ड जल संस्थान

नोट :

1. प्रत्येक बीजर का भुगतान देय तिथि तक अवश्य कर दे अन्यथा उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जल सम्पदा एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975) अनुसूचन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा-72 (क) (घ) के अन्तर्गत विल में दर्शायी गयी विच्छेदन तिथि बचवा उसके परचात बिना किसी बतिरिक्त सूचना के जल संयोजन विच्छेदित किया जा सकता है।
 2. भुगतान प्रसार पर छूट अनुमत्य नहीं होगी बर्यात 10 हजार मीटर प्रतिमाह पेयजल घणत के उपर देयक पर ही अधिकतम 30 दिन के अन्तर्गत भुगतान करने पर 10 प्रतिशत की जलमूल्य धनराशि पर अनुमत्य होगी। देयक का भुगतान न करने की स्थिति में विलम्ब बर्याति के तिये 1.50 प्रतिशत मासिक दर से विलम्ब शुल्क लिया जायेगा।

262

उत्तराखण्ड जल संस्थान

जल मूल्य / सीवर शीट / सीवर संयोजन शुल्क / जल स्तम्भ शुल्क

उपभोक्ता संख्या :	RI16NPN02N22B020994391	बिल सं० :	2022/4 /RI16NPN02N22B020994391
मांग संख्या / संयोग संख्या :	04950/NP1083	बिल दिनांक :	12-09-2022
श्री/ श्रीमती :	श्री मानव जोहर/श्री मनजीत जोहर	बिल अवधि :	04/2022 से 07/2022
गंगा बिहार हरिद्वार रोड ऋषिकेश		देय तिथि :	04-10-2022
		विच्छेदन तिथि :	05-10-2022
		संयोजन की श्रेणी :	Low Head/NonDomestic/15 MM

विलिंग का प्रकार: पेयजल- मासिक औसत /20000 सीवरैज- -/-

देय बिल का विस्तृत विवरण

अवशेष धनराशि का विवरण

मद का नाम	रूपये में	मद का नाम	रूपये में
जल मूल्य	5405.00	अवशेष जल मूल्य	10120.00
सीवर संयोजन/शीट शुल्क	0.00	अवशेष सीवर संयोजन/शीट शुल्क	0.00
मीटर किराया	0.00	अवशेष मीटर किराया	0.00
अन्य मांग	0.00	अवशेष अन्य मांग	0.00
डिस्चार्ज चैक की राशि	0.00		
विलम्ब शुल्क	835.00	अवशेष मांग	10120
वर्तमान मांग	6240	अस्थाई जमा(-)	0.00
झूट देय तिथि तक(-)	0.00	कुल देय तिथि तक	16360

भुगतान की स्थिति इस बिल का भुगतान किया गया है भुगतान धनराशि 16242.00
शाखा का नाम W.W Rishikesh कलैक्शन सेंटर का नाम Rishikesh Nagar Palika

राजस्व अधीक्षक/ बिल लिपिक

अधिसाक्षी अभियन्ता/ जलकल अभियन्ता/ सहायक अभियन्ता
उत्तराखण्ड जल संस्थान

नोट :

- प्रत्येक बीजक का भुगतान देय तिथि तक अवश्य कर दें अन्यथा उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जल संचरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975) अनुसूचन एवं उपसूचन अधिनियम, 2002 की धारा-72 (क) (ख) के अन्तर्गत बिल में दर्शायी गयी विच्छेदन तिथि अथवा उसके परभाव बिना किसी अतिरिक्त सूचना के जल संयोजन विच्छेदित किया जा सकता है।
- न्यूनतम प्रभार पर झूट अनुमत्य नहीं होगी अर्थात् 10 ह्यूबल मीटर प्रतिमाह पेयजल धण्ड के उपर देयक पर ही अधिकतम 30 दिन के अन्दर्गत भुगतान करने पर 10 प्रतिशत की झूट जलमूल्य धनराशि पर अनुमत्य होगी। देयक का भुगतान न करने की स्थिति में विलम्ब अवधि के तिये 1.50 प्रतिशत मासिक दर से 'विलम्ब शुल्क' तिवा जायेगा।

263 966

19-11-2022

दिनांक : 19/11/2022

। में,

लोका सूचना अधिकारी / सहायक अभियन्ता

उत्तराखण्ड जल संस्थान

गोविन्द नगर, ऋषिकेश

ऋषिकेश - 249201 जिला देहरादून

उत्तराखण्ड

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(j) व धारा 6(1) के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचना पाने के बावत।

महोदय,

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(j) व धारा 6(1) के अन्तर्गत प्रार्थी को निम्नलिखित सूचना उसी रूप में उपलब्ध करवा दी जाये जिस रूप में चाही गयी है :-

1. उत्तराखण्ड जल संस्थान ऋषिकेश का बिल संख्या 2022/04/0994391 श्री नानव जौहर / श्री मनजीत जौहर गंगा विहार ऋषिकेश के नाम से जारी किया गया है।
आपके कार्यालय के रिकॉर्ड के अनुसार यदि उक्त बिल संख्या 2022/04/0994391 में सीवर चार्जिस / सीवर संयोजन सम्मलित हैं तो इस तथ्य की सूचना के रूप में लिखित पुष्टि कर दें।
2. उक्त बिल संख्या 2022/04/0994391 में दर्शाए गए चार्जिस जिस सेवा / सर्विस से सम्बन्धित हैं उस तथ्य की लिखित रूप में पुष्टि कर दें।

मेरे द्वारा मांगी गई जानकारी के शुल्क के रूप में रुपए 10/= जमा करवा रहा हूँ

भवदीय

 19/11/2022

श्री विपिन नैय्यर पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार नैय्यर

मकान संख्या 108/305, गली न० 8

वीरभद्र मार्ग, ऋषिकेश, उत्तराखण्ड

मो० 8006286662

11/1/2022

264



उत्तराखण्ड जल संस्थान

डी। पी।सी	डी पानच जोहवापी मनजीत जोहर		
पता	गंगा बिलार हरिद्वार रोड ऋषिकेश		
भाखा का नाम	W.W Rishikesh	कर्मचारी केंद्र	Rishikesh Nagar Palika
उपभोक्ता संख्या	RI16NPN02N22B020994391	योग संख्या	04950/NP1083
विल संख्या	2022/4/RI16NPN02N22B020994391	पोर्टल कार्यसम्पादन आई डी	UJS180822130437077
रसीद संख्या	ONPYYIDB1357052621	शुभदान राशि	16242.00
शुभदान तिथि	18/08/2022	कार्य सम्पादन स्थिति	Success

टिप- यह रसीद बैंक से धनराशि प्राप्त होने पर ही वैध होगी

Visit us at <http://uj.s.uk.gov.in>



OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
ELECTRICITY DISTRIBUTION DIVISION
RAIL VIHAR, RISHIKESH
PHONE: 0135-2436108

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
रेल विहार, ऋषिकेश
दूरभाष: 0135-2436108

पत्रांक 1118 / वि0वि0ख0/ऋ0

दिनांक 02/05/2024

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-463/2022
विपिन नैय्यर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में I.A No-311/2022 पर आख्या उपलब्ध कराये
जाने के संबंध में।

अधिशासी अभियन्ता,
उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम,
वैराज, ऋषिकेश।

उपरोक्त विषयक जिलाधिकारी महोदया, के कार्यालय पत्रांक संख्या-28/ एल0बी0
सी0-2024 दिनांक 30.04.2024 के अनुपालन में अवगत कराना है, कि उक्त प्रकरण में कुछ
विन्दु यदि आपके कार्यालय से सम्बन्धित है, तो जिलाधिकारी महोदया को अवगत कराना
सुनिश्चित करें।

02/05/24
(शक्ति प्रसाद)
अधिशासी अभियन्ता,

पत्रांक 1118 / वि0वि0ख0/ऋ0

दिनांक 02/05/2024

प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

02/05/24
(शक्ति प्रसाद)
अधिशासी अभियन्ता

क्षेत्रीय 267 कार्यालय
45-गांधी रोड, देहरादून

पत्रांक: 90 / 2-8-41 / 2024-25
सेवा में,

दिनांक: 02 मई 2024

जिलाधिकारी
देहरादून।

विषय :- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या 463 / 2022 विपिन नैय्यर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में I.A. No. 311/2022 पर आख्या उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने प0सं0 28 / एल0बी0सी0-2024 दिनांक 30 अप्रैल 2024 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या 463 / 2022 विपिन नैय्यर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में I.A. No. 311/2022 पर आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त क्रम में सादर अवगत कराना है कि होटल गंगा फॉरेस्ट ब्यू, वीरभद्र रोड, ऋषिकेश पूर्व से सराय एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत है, (छायाप्रति संलग्न)। उक्त इकाई उत्तराखण्ड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय नियमावली के अन्तर्गत यात्रियों एवं पर्यटकों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु पर्यटन विभाग में पंजीकृत की गयी है। राधे हीं यह भी अवगत कराना है कि हाईड-आउट कैफे रेस्टोरेंट उत्तराखण्ड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय नियमावली के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है।

सम्बन्धित होटल गंगा फॉरेस्ट ब्यू के द्वारा एन0जी0टी0/प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानको का उल्लंघन किये जाने की दशा में सम्बन्धित विभाग की संस्तुति के आधार पर उत्तराखण्ड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय नियमावली के तहत सम्बन्धित होटल के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

अतः पत्रानुक्रम में आख्या सादर प्रेषित।

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

453
31/5/24

Arum FR / 432

भवदीय

SuSheep
21/5/24

(सुशील नौटियाल)

जिला पर्यटन विकास अधिकारी
देहरादून।

LBC

ADMC/F(R)
03/05

प्रमाण पत्र सं०-82/ सराय एक्ट/पंजीकरण 2016-18

दिनांक 08.05.2018.

ika

पंजीकरण प्रमाण पत्र	
पत्र के खम में उनकी सम्पत्ति होटल गंगा फारेस्ट यू. वीरमाद रोड, त्र्यधिकेश, देहरादून को उनके नाम पर, सराय एक्ट, 1887 की धारा-3 के अन्तर्गत निम्न प्रकार से संशोधित पंजीकरण किया जाता है।	
1- इकाई का नाम:	— होटल गंगा फारेस्ट यू.
2- पता:	— वीरमाद रोड, त्र्यधिकेश, देहरादून।
3- प्रोपराईटर का नाम	— श्रीमती रमा अरोड़ा पति श्री मदन लाल
4- पंजीकरण संख्या	— 82/2016
5- कुल कक्षों की संख्या	— 12 कक्ष

पंजीकरण के उपरान्त स्वामी निम्नानुसार वर्णित प्रतिबन्धों/नियमों का पालन करने हेतु बाध्य होंगे तथा भवन के विषय में प्राधिकरण के विवाद के लिये स्वयं जिम्मेदार होंगे।

- (1) आवेदिका एक वर्ष के अन्तर्गत प्रश्रुगत का भू-उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी प्रमाण-पत्र/आदेश इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगा।
- (2) अधिष्ठान/प्रतिष्ठान में जिला वाणिज्य कर कार्यालय/जिला पर्यटन कार्यालय/जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा प्रमाणित वांछित रजिस्टर रखेंगे, जिसमें ठहरने वाले प्रत्येक अधिभोगी का पूर्ण विवरण दर्ज किया जायेगा तथा प्रतिमाह सराय एक्ट की धारा-8 के अन्तर्गत मासिक रिपोर्ट निर्धारित फार्म पर जिला पर्यटन विकास अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।
- (3) सराय एक्ट की समस्त धाराओं का पूर्ण रूप से पालन किया जायेगा, तथा सराय एक्ट की धारा (6) के अन्तर्गत साप्ताहिक रिपोर्ट प्रत्येक सोमवार को इस कार्यालय/सम्बन्धित के कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे, ऐसा न करने पर लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।
- (4) होटलों/गेस्ट हाउस पर अधिरोपित सुख साधन कर नियमावली, 1975 (अनुकूलन उपात्तरण आदेश 2002) एवं उत्तराखण्ड होटलों में सुख साधन कर नियमावली, 2009 का पूर्ण रूप से पालन किया जायेगा।
- (5) जिलाधिकारी कार्यालय/जिला पर्यटन विकास, अधिकारी/वाणिज्य कर विभाग कार्यालय द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन किया जायेगा।
- (6) सराय एक्ट की धारा-7 की उप धारा-7 के अधीन अपने अधिष्ठान/प्रतिष्ठान की निर्धारित सीजन, ऑफ सीजन के अनुसार कक्षों की दरें स्वागत पटल पर डिस्प्ले करेंगे तथा समय-समय पर निरीक्षण हेतु आने सक्षम वाले अधिकारियों को पूर्ण सहयोग प्रदान किया जायेगा तथा उनकी मांग के अनुसार सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत किये जायेंगे।
- (7) सराय एक्ट के अन्तर्गत पंजीकरण की सम्पत्ति के रवानित्य का कोई सम्बन्ध नहीं होगा। स्वामित्व सम्बन्धी कोई किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर स्वयं प्रोपराईटर/सराय संचालक उत्तरदायी होंगे क्योंकि सराय एक्ट प्राविधानों के अनुसार किसी भवन में यात्रियों के रूकने के उपरान्त उस भवन को सराय एक्ट में पंजीकृत कराना होता है तथा वर्णित भवन में यात्रियों को रूकवाया जा सकता है। अतः भवन के सम्बन्ध में नियत प्राधिकारी/प्राधिकरण में वर्तमान अथवा भविष्य में यदि कभी कोई भी विवाद होता है तो उसके लिए प्रोपराईटर स्वयं उत्तरदायी होंगे, जैसा कि उनके द्वारा शपथ पत्र में भी उद्घोषित किया गया है तथा प्राधिकरण उ0प्र0अ0 प्लानिंग एण्ड डेवलपमेन्ट एक्ट, 1971 की धारा-16 के अन्तर्गत कार्यवाही के लिए स्वतंत्र होगा। भवन विषय पर यह प्रतिबंध भी पूर्णतः लागू होगा कि यदि प्राधिकरण के उप विधि के विपरीत कोई violation प्रकाश में आए तो प्राधिकरण विधि सम्मत कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा। उक्त के अतिरिक्त प्राधिकरण से कभी भी किसी प्रकार की विपरीत-आख्या/किसी भी कार्यवाही होने पर यह प्रमाण-पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा। इत बिन्दु के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही होने पर प्रोपराईटर/सराय संचालक स्वयं उत्तरदायी होगा। उक्त के अतिरिक्त कोई भी संस्थान ऋण आदि अपने उत्तरदायित्व में देगा, जिसमें इस प्रमाण-पत्र को कोई आधार नहीं बननाया जायेगा।
- (8) सराय के स्वामी/सराय संचालक को अपने होटल/गेस्ट हाऊस/रिसोर्ट में आपदा/घुनाव/अन्य आवश्यक परिस्थितियों में जिला प्रशासन को आवश्यकता के अनुरूप कक्ष उपलब्ध कराने होंगे।
- (9) उक्त शर्तों के उल्लंघन पर यह प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।



प्रमाणित अधिकारी (सराय एक्ट)
पते जिलाधिकारी,
देहरादून।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- जिला पर्यटन विकास अधिकारी, देहरादून।
- 2- उप जिलाधिकारी, त्र्यधिकेश।
- 3- श्रीमती रमा अरोड़ा पति श्री मदन लाल, वी0-244 प्रियदर्शनी विहार, लक्ष्मीनगर, पूर्वी दिल्ली।

Subj

प्रमाण पत्र सं०-52/ सराय एक्ट/पंजीकरण 2016-16

दिनांक 08.08.2018.

पंजीकरण प्रमाण पत्र

श्रीमती रमा अरोड़ा पति श्री मदन लाल, बी०-244 प्रियदर्शनी विहार, लक्ष्मीनगर, पूर्वी दिल्ली द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के क्रम में उनकी सम्पत्ति होटल गंगा फारेस्ट यू. वीरगा रोड, न्यूरिक्शा, देहरादून को उनके नाम पर, सराय एक्ट, 1967 की धारा-3 के अन्तर्गत निम्न प्रकार से संशोधित पंजीकरण किया जाता है।

- | | | | |
|----|----------------------|---|-------------------------------------|
| 1- | इकाई का नाम: | - | होटल गंगा फारेस्ट यू. |
| 2- | पता: | - | वीरगा रोड, न्यूरिक्शा, देहरादून। |
| 3- | प्रोपराईटर का नाम | - | श्रीमती रमा अरोड़ा पति श्री मदन लाल |
| 4- | पंजीकरण संख्या | - | 52/2016 |
| 5- | कुल कक्षों की संख्या | - | 12 कक्ष |

पंजीकरण के उपरान्त स्वामी निम्नानुसार वर्णित प्रतिबंधों/नियमों का पालन करने हेतु बाध्य होंगे तथा भवन के विषय में प्राधिकरण के विवाद के लिये स्वयं जिम्मेदार होंगे।

- (1) आवेदिका एक वर्ष के अन्तर्गत प्रश्नगत का भू-उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी प्रमाण-पत्र/आदेश इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगा।
- (2) अधिष्ठान/प्रतिष्ठान में जिला वाणिज्य कर कार्यालय/जिला पर्यटन कार्यालय/जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा प्रमाणित वांछित रिजिस्टर रखेंगे, जिसमें उहरने वाले प्रत्येक अधिभोगी का पूर्ण विवरण दर्ज किया जाएगा तथा प्रतिमाह सराय एक्ट की धारा-8 के अन्तर्गत मासिक रिपोर्ट निर्धारित फार्म पर जिला पर्यटन विकास अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।
- (3) सराय एक्ट की समस्त धाराओं का पूर्ण रूप से पालन किया जायेगा, तथा सराय एक्ट की धारा (8) के अन्तर्गत साप्ताहिक रिपोर्ट प्रत्येक सोमवार को इस कार्यालय/सम्बन्धित के कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेगी, ऐसा न करने पर लाईसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।
- (4) होटलों/गेस्ट हाउस पर अधिरोपित सुख साधन कर नियमावली, 1975 (अनुसूचन उपान्तरण आदेश 2002) एवं उत्तराखण्ड होटलों में सुख साधन कर नियमावली, 2009 का पूर्ण रूप से पालन किया जायेगा।
- (5) जिलाधिकारी कार्यालय/जिला पर्यटन विकास अधिकारी/वाणिज्य कर विभाग कार्यालय द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन किया जायेगा।
- (6) सराय एक्ट की धारा-7 की उप धारा-7 के अधीन अपने अधिष्ठान/प्रतिष्ठान की निर्धारित सीपान, ऑफ सीपान के अनुसार कक्षों की दरें स्वागत पटल पर डिस्प्ले करेंगे तथा समय-समय पर निरीक्षण हेतु आने सक्षम वाले अधिकारियों को पूर्ण सहयोग प्रदान किया जायेगा तथा उनकी मांग के अनुसार सम्बन्धित अगिलेख प्रस्तुत किये जायेंगे।
- (7) सराय एक्ट के अन्तर्गत पंजीकरण की सम्पत्ति के स्वागित्य का कोई सम्बन्ध नहीं होगा। स्वामित्व सम्बन्धी कोई किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर स्वयं प्रोपराईटर/सराय संचालक उत्तरदायी होंगे, क्योंकि सराय एक्ट प्राधिकरण के अनुसार किसी भवन में यात्रियों को रूकना या तो उसके लिए प्रोपराईटर स्वयं उत्तरदायी होंगे, जैसा कि उनके द्वारा शपथ पत्र में भी उद्घोषित किया गया है तथा प्राधिकरण तो उसके लिए प्रोपराईटर स्वयं उत्तरदायी होंगे, जैसा कि उनके द्वारा शपथ पत्र में भी उद्घोषित किया गया है तथा प्राधिकरण पर यह उ0प्र0अ0 प्लानिंग एण्ड डवलपमेन्ट एक्ट, 1971 की धारा-16 के अन्तर्गत कार्यवाही के लिए स्वतंत्र होगा। भवन विषय पर यह प्रतिबंध भी पूर्णतः लागू होगा कि यदि प्राधिकरण को उप विधि के विपरीत कोई violation प्रकाश में आए तो प्राधिकरण विधि सम्मत कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा। उक्त के अतिरिक्त प्राधिकरण से कमी भी किसी प्रकार की विपरीत आख्या/किसी भी कार्यवाही होने पर यह प्रमाण-पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा। इत बन्दू के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही होने पर प्रोपराईटर/सराय संचालक स्वयं उत्तरदायी होगा। उक्त के अतिरिक्त कोई भी संस्थान ऋण आदि अपने उत्तरदायित्व में देगा, जिसमें इस प्रमाण-पत्र को कोई आधार नहीं बनाया जायेगा।
- (8) सराय के स्वामी/सराय संचालक को अपने होटल/गेस्ट हाऊस/रिसोर्ट में आपदा/चुनाव/अन्य आवश्यक परिस्थितियों में जिला प्रशासन को आवश्यकता के अनुरूप कक्षा उपलब्ध कराने होंगे।
- (9) उक्त शर्तों के उल्लंघन पर यह प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।



प्रमाणित (सराय एक्ट)
द्वारा जिलाधिकारी,
देहरादून।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1:-जिला पर्यटन विकास अधिकारी, देहरादून।
- 2:-उप जिलाधिकारी, न्यूरिक्शा।
- 3:- श्रीमती रमा अरोड़ा पति श्री मदन लाल, बी०-244 प्रियदर्शनी विहार, लक्ष्मीनगर, पूर्वी दिल्ली।

SDA

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
ELECTRICITY DISTRIBUTION DIVISION
SHAIL VIHAR, RISHIKESH
PH: 0135-2436108



रासी अभियन्ता
वितरण खण्ड
हार, ऋषिकेश
दूरभाष: 0135-2436108

पत्रांक 1115 / वि०वि०ख०/ऋ०

दिनांक 02-5-24

विषय-: मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली मे योजित मूल आवेदन संख्या-463/2022 विपिन नैय्यर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में I.A No-311/2022 पर आख्या उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

सेवा,

श्रीमान जिलाधिकारी, महोदया,
देहरादून।

महोदया,

5454
1. Received under Registered Cover
2. No. R.V. 25254.1.235-11
3. Dated. 4. 5-25-24
4. To. P.E. L.R.C.
प्रभारी अधिकारी
ऑगल अभिलेखागार
कलेक्ट्रेट, देहरादून

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक संख्या-28/एल०बी०सी०-2024 दिनांक 30.04.2024 के अनुपालन मे अवगत कराना है, कि होटल गंगा व्यू एवं हाइड आऊट कैफे को विद्युत संयोजन के संदर्भ मे संलग्न नोटिस प्रेषित किये गये है, कि सक्षम आदेश प्राप्त होने पर नियमानुसार विद्युत विच्छेदन की कार्यवाही की जा सकती है।

महोदया, उक्त प्रकरण मे अन्य कोई भी भाग UPCL से सम्बधित नही है, उक्त प्रकरण में कुछ बिंदु सम्भवतः UJVNL से सम्बधित हो सकते है।

अतः उपरोक्त आख्या सादर सेवा मे प्रेषित है।


(शक्ति प्रसाद)
अधिशासी अभियन्ता,

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
ELECTRICITY DISTRIBUTION DIVISION
SHAIL VIHAR, RISHIKESH
PH : 0135-2436108



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
शैल विहार, ऋषिकेश
दूरभाष: 0135-2436108

पत्रांक 11110 / वि०वि०ख० / ऋ०

दिनांक 02-5-24

समक्ष,

दुकान/प्रतिष्ठान धारक/मालिक सम्पत्ति
Hotel "Ganga Forest View"
86, Gali No. 06, Vardhacharya Marg (Aashu path)
Opp. Aves Vikas Colony, Rishikesh.

वैधानिक चैतावनी

उपरोक्त दुकान/प्रतिष्ठान/व्यवसायिक प्रतिष्ठान संचालाको पर स्थापित विद्युत संयोजन के संयोजको को मा० उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में संस्थित याचिका स० 463/2022 IA No311/2022 के अनुपालन तथा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में संस्थित आवेदन याचिका विपिन नैयर बनाम भारत संघ व अन्य में ऋषिकेश के गंगा परिक्षेत्र एंव सीमा में बहुतायत संख्या में होटलो, व्यवसायिक, प्रतिष्ठानों, दुकानों, वर्कशाप आदि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर अवैधानिक रूप में कानूनों का उल्लंघन कर आपके द्वारा आपत्तिजनक रूप से जो व्यवसायिक गतिविधिया चलायी जा रही है उस कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु राज्य प्रशासन ऋषिकेश तथा जिलाधिकारी ऋषिकेश द्वारा निर्गत आदेश पत्रांक संख्या 28/एल०बी०सी०-2024 दिनांक 30.04.2024 के अनुपालन में आपको कार्यवाही से पूर्व सचेतात्मक सूचना प्रेषित कर अपेक्षा की जाती है, कि आप उपरोक्त तामील सचेतात्मक नोटिस निर्गत के दिनांक 01.05.2024 से एक सप्ताह के अन्दर अपनी दुकानों, होटलो, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों आदि पर अपनी विद्युत आपूर्ति/विद्युत उपभोग का स्थाई बंदोबस्त कर ले, तत्पश्चात नियमानुसार विद्युत विभाग अग्रिम कार्यवाही अभियान विद्युत विच्छेदन करने के लिये विभाग स्वतंत्र है। जिसकी प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से जिम्मेदारी व उत्तरदायी स्वयं अतिक्रमणकर्ता व्यवसायिक प्रतिष्ठान, होटल, दुकानदार व अन्य सम्पत्ति के मलिकान स्वयं होंगे।

उपरोक्त नोटिस सम्बंधित प्रतिष्ठान के मालिकान/मौके पर कब्जेदार/प्रतिष्ठान के संचालकों, ठेकेदारों वा सम्पत्ति पर काबिज किरायेदारों पर तामील है।

02/05/24
अधिशासी अभियन्ता,
विद्युत वितरण खण्ड,
ऋषिकेश देहरादून।

उत्तराखण्ड विद्युत कोर्पोरेशन लि०
(उत्तराखण्ड विद्युत वितरण निगम)

272
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
(Govt. of Uttarakhand Undertaking)

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
ELECTRICITY DISTRIBUTION DIVISION
SHAIL VIHAR, RISHIKESH
PH: 0135-2436108



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
शैल विहार, ऋषिकेश
दूरभाष: 0135-2436108

पत्रांक 111(७) / वि०वि०ख० / त्र०

दिनांक 02-5-24

समक्ष,

दुकान / प्रतिष्ठान धारक / मालिक सम्पत्ति
Restaurant, Hide out Cafe,
232/H, Aashra Path, Behind Durga Mata Mandir,
Ganga Vihar Colony, Koyal Ghati, Rishikesh.

वैधानिक चैतावनी

उपरोक्त दुकान / प्रतिष्ठान / व्यवसायिक प्रतिष्ठान संचालाको पर स्थापित विद्युत संयोजन के संयोजको को मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल में संस्थित याचिका सं० 463/2022 1A No311/2022 के अनुपालन तथा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में संस्थित आवेदन याचिका विपिन नैयर बनाम भारत संघ व अन्य में ऋषिकेश के गंगा परिक्षेत्र एवं सीमा में बहुतायत संख्या में होटलो, व्यासायिक, प्रतिष्ठानो, दुकानो, वर्कशाप आदि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर अवैधानिक रूप में कानुनो का उल्लंघन कर आपके द्वारा आपतिजनक रूप से जो व्यवसायिक गतिविधिया चलायी जा रही है उस कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु राज्य प्रशासन ऋषिकेश तथा जिलाधिकारी ऋषिकेश द्वारा निर्गत आदेश पत्रांक संख्या 28/एल०बी०सी०-2024 दिनांक 30.04.2024 के अनुपालन में आपको कार्यवाही से पूर्व सचेतात्मक सूचना प्रेषित कर अपेक्षा की जाती है, कि आप उपरोक्त तामील सचेतात्मक नोटिस निर्गत के दिनांक 01.05.2024 से एक सप्ताह के अन्दर अपनी दुकानों, होटलो, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों आदि पर अपनी विद्युत आपूर्ति / विद्युत उपभोग का स्थाई बंदोबस्त कर ले, तत्पश्चात नियमानुसार विद्युत विभाग अग्रिम कार्यवाही अभियान विद्युत विच्छेदन करने के लिये विभाग स्वतंत्र है। जिसकी प्रत्येक व परोक्ष रूप से जिम्मेदारी व उत्तरदायी स्वयं अतिक्रमणकर्ता व्यवसायिक प्रतिष्ठान, होटल, दुकानदार व अन्य सम्पत्तिके मलिकान स्वयं होंगे।

उपरोक्त नोटिस सम्बन्धित प्रतिष्ठान के मालिकान / गौके पर कब्जेदार / प्रतिष्ठान के संचालकों, ठेकेदारों वा सम्पत्ति पर काबिज किरायेदारों पर तामील है।

[Handwritten signature]

02/05/24
अधिशासी अभियन्ता,
विद्युत वितरण खण्ड,
ऋषिकेश देहरादून।



यूजेवीएन 273 लिमिटेड

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

UJVNL LIMITED

(A Govt. of Uttarakhand Enterprise)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता (सिविल), पशुलोक बैराज, ऋषिकेश-249203, दूरभाष-0135-2450378, फैक्स नं०-0135-2456988
Office of the Executive Engineer (Civil), Pashulok Barrage, Rishikesh-249203, Phone-0135-2450378, Fax-0135-2456988

No. M- 26 /UJVNL/EE(C-Pashulok Barrage)/

Dated: 04.05.2024

सेवा में,


जिलाधिकारी महोदया,
जिला- देहरादून।

विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन 463/2022 श्री विपिन नैय्यर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में I.A. No-311/2022 पर आख्या उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक 28/एल०बी०सी०-2024, दिनांक 30.04.2024 के द्वारा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन 463/2022 श्री विपिन नैय्यर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के सम्बन्ध में इस कार्यालय से सम्बन्धित आख्या उपलब्ध करवाने हेतु निर्देशित किया गया है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन 463/2022 श्री विपिन नैय्यर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में I.A.No-311/2022 के सम्बन्ध में इस कार्यालय से कोई भी कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

अतः सादर सूचनार्थ प्रेषित।


(अशु कुमार)
अधिशासी अभियन्ता(सिविल)



Lifestyle For
Environment

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
ई-115, नेहरू कॉलोनी, देहरादून-248001
टेलीफोन नं.-0135-3593200

पत्रांक सं०-यूकेपीसीबी /आर.ओ.डी./एन०जी०टी०-55/2024-25/434 - 265

दिनांक: 06/05/24

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदया,
देहरादून।

विषय- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-463/2022 विपिन नैय्यर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में I.A. No. 311/2022 पर आख्या उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-463/2022 विपिन नैय्यर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में पारित आदेश दिनांक 22.03.2024 के क्रम में आपके पत्रांक संख्या-28/एल०बी०सी०-2024 दिनांक 30 अप्रैल, 2024 द्वारा I.A. No. 311/2022 पर आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देश प्राप्त हुए हैं।

अतः प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में इस कार्यालय द्वारा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में प्रामा किया गया प्रतिशपथ पत्र संलग्न है। पूर्व में इस कार्यालय के पत्रांक संख्या-यूकेपीसीबी/आर.ओ.डी./एन.जी.टी.-55/2024 -25/119-58 दिनांक 12.04.2024 द्वारा कार्यालय स्तर की आख्या प्रेषित की जा चुकी है।

सूचनार्थ सादर प्रेषित।

संलग्नक-यथापरि।

भवदीय

[Handwritten Signature]

(डा० आर०के० चतुर्वेदी)
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र०)

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
ई-115, नेहरू कॉलोनी, देहरादून-248001



REGIONAL OFFICE
Uttarakhand Pollution Control Board
E-115, Nehru Colony, Dehradun-248001

पत्रांक सं०-यूकेपीसीबी/आरखोडी/एन.जी.टी.-85/2024-25/ 119 - 58

दिनांक 12/04/24

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदया,
देहरादून।

विषय- याद राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या-463/2022 विपिन नैययर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में गठित संयुक्त जांच समिति की आख्या दिनांक 04.08.2022 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक कार्यालय जिलाधिकारी, देहरादून के पत्रांक संख्या-10/LBC-2024 दिनांक 08, अप्रैल, 2024, जिसमें संयुक्त जांच समिति द्वारा प्ररनगत सम्पत्ति की संयुक्त निरीक्षण दिनांक 04.08.2022 में इस कार्यालय स्तर से की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में चाहा गया है, के अनुपालन में इस कार्यालय द्वारा वर्तमान तक की गई कार्यवाही आपके अवलोकनार्थ सादर प्रेषित है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय

1
(डा आर०के० चतुर्वेदी)
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र०)

प्रतिलिपि-उप जिलाधिकारी, ऋषिकेश को उनके पत्रांक संख्या-293/एस०पी०ए०-एन०जी०टी० पत्रा०- दिनांक 11
अप्रैल, 2024 के अनुपालन में सादर प्रेषित।

Pm
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र०)

276
IN THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI

INDEX

IN

RESPONSEAFFIDAVIT

ONBEHALF OF

UTTARAKHAND POLLUTION CONTROL BOARD

(In response to the order dated 04.12.2023 and 15.01.2024)

in

Original Application No. 463/2022

Vipin Nayyar

Applicant

Versus

State of Uttarakhand & Ors.

Respondents

Sl. No.	Particulars	Page No.
1.	Index	1 - 1
2.	Response Affidavit	2 - 8
3.	Annexure No. 1: Copy of CCA order dated 22.07.2023.	9 - 12
4.	Annexure No. 2: Copy of CCA order dated 13.02.2024.	13 - 16
5.	Annexure No. 3: Copy of letter dated 26.12.2023.	17 - 17
6.	Annexure No. 4: Copy of letter dated 31.01.2024 along with inspection report.	18 - 20

Dated: March, 2024

Advocate
(Counsel for the UKPCB)

277

IN THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI
RESPONSE AFFIDAVIT

ON BEHALF OF
UTTARAKHAND POLLUTION CONTROL BOARD

(In response to the order dated 04.12.2023 and 15.01.2024)

in

Original Application No. 463/2022

Vipin Nayyar

Applicant

Versus

State of Uttarakhand & Ors.

Respondents



AFFIDAVIT of Dr. Raj Kumar Chaturvedi, aged about 51 years, S/o Shri Ramswaroop Chaturvedi Presently posted as Regional Officer, Uttarakhand Pollution Control Board, Regional Office, Dehradun.

Ric
Deponent

I, the above-named deponent does hereby solemnly affirm and state on oath as under: -

- 1) That the deponent is presently posted as the Regional Officer, Uttarakhand Pollution Control Board, Regional Office, Dehradun

Ric

and is duly authorized by the competent authority to sign and swear the instant affidavit.

- 2) That the Hon'ble National Green Tribunal vide order dated 04.12.2023 was *inter-alia* pleased to direct Uttarakhand Pollution Control Board as under: -

"....2. We have gone through the reply and we find that respondent no. 4 has not adverted to the environmental question raised in the application by the original applicant and even the status of the applications for consent submitted by the respondents no. 6 and 7 to UKPCB has not been mentioned. It may also be added here that despite expiry of more than 9 month subsequent to the filing of above said reply, no further reply/response has been filed by the respondent no. 4 to inform this Tribunal about the current status of the above said consent applications.

3. Additional reply with reference to the averments made in the applications and observations made in the report of the Joint Committee and current status of the consent applications be filed by UKPCB within two months through E-filing portal (not through E-mail) in the form of searchable PDF/OCR Support PDF (not in the form of Image PDF).

..."

- 3) That in compliance of the aforementioned direction, inspection of M/S Ganga Forest View, Veerbhadra Road, Rishikesh and M/S Hide Out Café, Barrage Colony, Koyal Ghati, Ganga Vihar

Rik

279

Colony, Rishikesh were carried out by officials of Regional Office, Dehradun on 05.01.2024. Unit wise observations are as follows:

A. Hide Out Café, Ganga Vihar Colony, Rishikesh:

- i. Café is having 45 seating capacity.
- ii. Wastewater generated from café is being disposed through sewer line.
- iii. The unit has obtained Consolidated Consent & Authorization from the Board with validity up to 31.03.2027. Copy of CCA order is being marked and filed as Annexure No. 1 to this affidavit.

B. M/S Ganga Forest View, Veerbhadra Road, Rishikesh:

- i. Hotel is having 11 rooms and 1 restaurant.
- ii. Wastewater generated form hotel is being disposed through septic tank/soak pit. No wastewater is discharge outside the premise.
- iii. The occupier of hotel has submitted environment compensation of Rs. 43,500 to this office.
- iv. The unit has obtained Consolidated Consent & Authorization (CCA) from the Board with validity up to 30.09.2024. Copy of CCA order dated 13.02.2024 is being marked and filed as Annexure No.2 to this affidavit.

Rik



Regional
are as

Copies of letters dated 26.12.2023 & 31.01.2024 along with inspection reports are being marked and filed as **Annexure No. 3 & 4**, respectively, to this affidavit.

4) That further, the Hon'ble Tribunal vide order dated 04.12.2023 was *inter-alia* pleased to direct as under: -

"


4. Replies to and I.A No. 46/2023 & I.A. No. 47/2023 have not filed by respondents no. 3 and 5 and respondent no. 4.

7. Replies to I.A Nos. 46/2023 and 47/2023 be also filed by respondents no. 3 and 5 and respondent no. 4 within one month through E-filing portal (not through E-mail) in the form of searchable PDF/OCR Support PDF (not in the form of Image PDF).

....."


5) That in compliance to the above directions, reply to the I.A. No. 46 of 2023 is being filed by means of this instant response affidavit:

- i. That the contents of the paragraph no. 1 and 2 of the said I.A. are matter of record.
- ii. That the contents of the paragraph no. 3 to 5 of the said I.A. are admitted only in so far as they are a matter of record. Anything contrary thereto is vehemently denied.



R.K.

- iii. That the contents of the paragraph no. 6 of the said I.A. do, not pertain to the answering respondent and hence do not call for any reply from the answering respondent.
- iv. That the contents of the paragraph no. 7 of the said I.A. is not admitted and hence denied.
- v. That the contents of the paragraph no. 8 of the said I.A. do not pertain to the answering respondent and hence do not call for any reply from the answering respondent.



6) Further, in compliance to the above directions passed by the Hon'ble Tribunal, reply to the I.A. No. 47 of 2023 is being filed by means of this instant response affidavit:


- i. That the contents of the paragraph no. 1 and 2 of the said I.A. are matter of record.
- ii. That the contents of the paragraph no. 3 to 5 of the said I.A. are admitted only in so far as they are a matter of record. Anything contrary thereto is vehemently denied.
- iii. That the contents of the paragraph no. 6 of the said I.A. are matter of record.
- iv. That the contents of the paragraph no. 7 of the said I.A. are wrong, false and denied. Any insinuation directed against the answering respondent is vehemently denied.

Rik

do not call I.A. do

282

- v. That the contents of the paragraph no. 8 of the said I.A. are denied. The applicant has failed to present the grounds on which the G.O. should be declared as invalid.
- vi. That the contents of the paragraph no. 9 of the said I.A. are denied. The Interlocutory Application may change/alter the nature of the case and at this stage, allowing the said I.A. is not tenable in the eyes of law. Hence, the said I.A. deserves to be dismissed.
- vii. That the contents of the paragraph no. 10 of the said I.A. is not admitted and hence denied.
- viii. That the contents of the paragraph no. 11 of the said I.A. are denied. It is reiterated that the I.A. may change/alter the nature of the case and at this stage, allowing the said I.A. is not tenable in the eyes of law. Hence, the said I.A. deserves to be dismissed.



7) The deponent is a responsible Government servant having the highest regards for the Hon'ble Tribunal and orders passed by them. The deponent has always made his sincerest efforts to carry out the orders passed by this Hon'ble Tribunal in its letter and spirit and shall continue to do so in the future.

Rik

Deponent

Verification: -

I, the deponent above named do hereby solemnly affirm and verify that the contents of the above response affidavit are true to my

Rik

283



knowledge. No part of it is false and nothing material has been concealed there from. The legal submissions are further true as per legal advice received and believed to be true and correct. So help me God.

Verified at..... on 15. of March, 2024.

Rik

Deponent


Solemnly affirmed before me on this day of March, 2024 at Dehradun at about AM/PM by the deponent who has been identified by the aforesaid person.

I have satisfied myself by examining the deponent who understood the contents of this affidavit.

The person has signed in my presence on the affidavit.

This affidavit is sworn before me by
Shri.....
who is identified by Shri.....
at Dehradun on.....

Rik
(Rajender Singh Negi)
Advocate & Notary, Dehradun



Rik

Material has been
time as per legal
me God.



Annexure-1
UEPPCB

Regional Office
Uttarakhand Pollution Control Board
E-115, Nehru Colony, Dehra Dun
E-mail : rouppcb@gmail.com,
Phone No.-0135-3593200

UKPCB/ROD/DDN./Con-1935

/2023-24/ 1474 - 654

Date: 22/07/23
REGD. POST

To,
M/s Café hide out Restaurant
232/4, Bairaj Road, Koyal Ghati
Ganga Vihar colony, Rishikesah
Distt. Dehradun

Application No. 4052625 Dated : 17.05.2023

Consolidated Consent to Operate and Authorisation hereinafter referred to as the CCA (Consolidated Consent & authorization) (Renewal) under Section-25 of the "Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974" and under Section-21 of the "Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981" and Authorization under "Rule-6(2) of the "Hazardous and other Waste (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016" notified under "Environment (Protection) Act, 1986" as applicable (to be referred hereinafter as Water Act, Air Act and HW Rules respectively).

CCA is hereby granted to M/s Café hide out Restaurant at located 232/4, Bairaj Road, Koyal Ghati, Ganga Vihar colony, Rishikesah, Distt. Dehradun subject to the provisions of the Water Act, Air Act and the orders that may be made further and subject to following terms and conditions :-

1. This CCA is granted up to 30.09.2027 and valid for manufacturing of following products with Capital Investment / Net Assets Values 335.0 Lakhs:-

S. No.	Last CCA Operation of	Present CCA (Renewal) Operation of
1	Restaurant having 45 Nos. siting capacity	Restaurant having 45 Nos. siting capacity

2. Specific Conditions under Water Act:

(i) The daily quantity of effluent discharge (KLD) :-

Trade Effluent	Last CCA	Present CCA (Renewal)
Sewage	Nil 0.2 KLD	Nil 0.2 KLD

(ii) Trade Effluent Treatment and Disposal : Nil..

(iii) Sewage Treatment and Disposal: The applicant shall provide comprehensive treatment through Sewer Line of domestic waste water as per norms and ensure disposal.

(iv) The treated effluent shall be recycled to the maximum extent to achieve Zero Discharge and remaining treated effluent shall be sent to CIEP/reuse in gardening/and disposal and the same has to be maintained continuously so as to achieve the quality of the treated effluent to the following general and specific standards as prescribed under Environment (Protection) Rules, 1986 and applicable to the unit from time-to-time :-

	Between	5.5 to 9.0
1 pH	Not to exceed	100mg/l
2 Suspended solids	Not to exceed	30 mg/l
3 BOD (3 days 27°C)	Not to exceed	250 mg/l
4 COD	Not to exceed	10 mg/l
5 Oil & Grease		

3. Conditions under Air Act :-

- (i) The applicant shall use following fuel and install a comprehensive control system consisting of control equipment as is required in reference to generation of emissions and operation and maintain the same continuously so as to achieve the level of pollutants to the following standards.

S. No	Stack attached with	Stack height (M)	Type of Fuel	Fuel Quantity KLD/ MTD	Emission Control Equipment	Emission standards not to exceed
1.	D.G. Set (15 KVA)	1.0	Diesel	-	Stack	-

In of stoppage of functioning of air pollution control equipment, production has to be stopped immediately and this Board has to be intimated by fax/phone/email with a report in this regard to be dispatched immediately.

- (ii) Noise from the D.G. Set and other source(s) should be controlled by providing an acoustic enclosure as is required for meeting the ambient noise standards for night and day time as prescribed for respective areas/zones (Industrial, Commercial, Residential, Silence) which are as follows :-

Standards for Noise level in db(A) Leq	Industrial Area		Commercial Area		Residential Area		Silence Zone	
	Day time	Night time	Day time	Night time	Day time	Night time	Day time	Night time
	75	70	65	55	55	45	50	40

Day time : from 6.00 a.m. to 10.00 p.m., Night time: from 10.00 p.m. to 6.00 a.m.

4. Conditions under IIW Rules :-

- (i) Number of authorization and date of issue : -----
 (ii) The **Factory Manager** of **M/s Café hide out Restaurant** is hereby granted an authorization to operate a facility for collection and storage of Hazardous wastes.
 (iii) The authorization is granted to operate a facility for generation, collection and storage of hazardous wastes within factory premises for following category of wastes.

S.No.	Category (Schedule-I & Schedule-II)	Quantity of Waste for which authorization is being issued (MTA)	Mode of Disposal
1	Schedule I 5.1	1.00 MT	Store in MS Drum, Recyclable

- (iv) The authorization shall be in force for **30.09.2027**.
 (v) The authorization is subject to the conditions stated below and the such conditions as may be specified in the rules for the time being in force under Environment (Protection) Act, 1986.

Terms and conditions of authorization:

- (i) The authorization shall comply with the provisions of the **Environment (Protection) Act, 1986**, and the rules made thereunder.
 (ii) The authorization and its renewal shall be produced for inspection at the request of an officer authorized by the **SPCB/PCC**.
 (iii) The person authorized shall not rent, lend, sell, transfer or otherwise transport the hazardous wastes without obtaining prior permission of the **SPCB/PCC**.
 (iv) Any unauthorized changes in personnel, equipment as working conditions as mentioned in the application by the person authorized shall constitute a breach of his authorization.
 (v) It is the duty of the authorized person to take prior permission of the **SPCB/PCC** to close down the facility.
 (vi) An application for the renewal of an authorization shall be made as laid down under these rules.
 (vii) The unit shall comply with any other conditions specified in the guidelines issued by the **MoEF or CPCB/SPCB** from time to time.

5. This CCA is valid for **Operation of Restaurant only**.

Compulsory documents to be submitted by the Industry/Unit :-

- (i) Annual return in Form-4 and Waste Disposal Manifest in Form-10 under HW Rules and Third Party Audit Report.
 - (ii) Environment Statement in Form-V of Environment (Protection) Rules, 1986.
 - (iii) Quarterly compliance report of the CCA, photograph of ETP/APCs/Waste Storage Area.
7. Unit has to apply for renewal of CCA well in advance of 60 days of expiry of this CCA.
 8. Competent Authority reserves the right to change/modify/add any time any condition of this CCA.
 9. Unit has to comply with the other general conditions as annexed herewith. Non compliance of any provision of this CCA and provisions of the Water Act, Air Act and HW Rules will result in legal action under the aforesaid Acts and Rules.

P.K.
Regional Officer (I/c)

Copy to: Member Secretary, Uttarakhand Pollution Control Board, Dehradun for kind information please.

P.K.
Regional Officer (I/c)

Annexure

Specific Conditions:

1. The applicant shall submit audited balance sheet of the unit at the end of each financial year so that fee submitted by the applicant could be assessed.
2. A solid waste generated from the hotel has to be disposed in manner so that contamination of surface water bodies/ground water/soil etc. does not take place.
3. The hotel shall take adequate measures to control of noise from its own source so as to comply with the standards as may be applicable.
4. The hotel shall develop green belt within the premises.
5. Hotel will ensure that its kitchen waste/agro waste (biodegradable waste) will be disposed through composting.
6. The hotel shall strictly adhere with the specific and general conditions issued with CCA order. Any violation of stipulated conditions may attract legal action under the provisions of Water Act, Air Act and Environment (Protection) Act and Rules made thereunder.
7. The hotel shall ensure all safety measures and shall undertake periodical assessment by the competent authority.
8. Hotel shall not carryout processes which are restricted in Doon Valley.
9. This consent is valid for Operation of Restaurant having setting capacity 45 Nos. only. If any change in hotel unit, must be obtained CTE/COP as per rule.
10. The solid waste shall be disposed as per Solid Waste Management Rule-2016.
11. The waste water generated from the hotel should be treated and disposed as per norms applicable.
12. The time to time direction issued by Hon'ble Court, MoEF CC, State Government, CPCB, SPCB will be applicable on the hotel.
13. Land use of the hotel should be proper and valid as per the activity. In case any time if it is found that the hotel is not having the valid documents this consent may be revoked.
14. In case of any complaint received against hotel and found correct, this CCA order may be revoked.

General Conditions:

1. The applicant shall get analyse the samples of effluent/emission/hazardous wastes at least once in a three month from the laboratory recognized by the MoEF and shall report to the UEPPCB.
2. The applicant shall however, not without the prior consent of the Board bring into use any new or altered outlet for the discharge of effluent or gases emission or sewage-waste from the unit.
3. Treated waste water and domestic waste water shall be disposed jointly at one disposal point. The applicant shall provide discharge measurement equipment at final disposal point.
4. The applicant shall strictly comply with conditions of this CCA and submit compliance report of stipulated conditions within 30 days of receipt of this CCA. If, at any point of time, it is found that the industry is not

- complying with stipulated conditions or any legal notification/instruction issued by the Board, legal action may be initiated against the applicant.
5. The applicant shall maintain good house keeping. All valves/pipes/scwer/drains etc. must be leak-proof.
 6. The industry shall provide uninterrupted entry to the STP's/ETP's inlet and outlet points. Air Pollution Control equipment and stack for smooth sampling/monitoring of efficiency of pollution control measures.
 7. The industry shall provide "Inspection Book" at the time of inspection to the Board's officials.
 8. Whenever due to any accident or other unforeseen act or event, such emission occurs or is apprehended to occur in excess of standards laid down, such information shall be reported to the Board's offices and all other concerned offices. In case of failure of pollution control equipment, the production process connected to it shall be stopped with immediate effect.
 9. The industry shall operate in a manner so that all emissions be emitted through designated chimney/stack only.
 10. In case of any damage to the agriculture productivity, human habitation etc. by the operation of industry, it shall be imperative to stop production in the industry with immediate effect and such information shall be reported to Board's offices. The industry shall be liable to pay compensation also in such cases as decided by the Competent Authority.
 11. The applicant shall apply before the 60 days of expiry of CCA or any change in production types production capacity/manufacturing process/capacity enhancement etc. or any change in effluent discharge point or emission point.
 12. The Board reserves the right to revoke/add/modify any stipulated condition issued along with CCA, as may be necessary.
 13. The person authorized shall not rent, lend, sell, transfer or otherwise transport the hazardous waste without obtaining prior permission of the Board.
 14. Any unauthorized change in personnel, equipment as working condition as mentioned in the application by the person authorized shall constitute a breach of his authorization.
 15. It is the duty of the authorized person to take prior permission of the Board to close down the facility.
 16. The authorization is valid for temporary storage of Hazardous Waste within premises only.
 17. The authorized agency shall ensure that on-line data with regard to quantity and nature of hazardous chemicals being used in the plant as well as air emission and waste generated within premises is displayed on Display Board of size 6x4 feet out side the main factory gate within premises.
 18. It is duty of the authorized person to take prior permission of this Board to close and cleanup the facility for treatment, storage and disposal of hazardous waste.
 19. The applicant shall maintain record of hazardous waste in Form-3 and shall submit annual return in Form-4 on or before the 30th day of June following to the financial year to which that return relates.
 20. In case of any accident, complete details in the light of Form-14 of the Hazardous Rules shall be submitted to this Board at the earliest.
 21. In no case any hazardous waste shall be disposed off on land, in any drain, or into any water stream. All spillage must also be safely collected and stored.
 22. Before the hazardous waste is stored or dumped in the facility, applicant must conduct a detailed physical and chemical analysis of hazardous waste sample and report to the Board.
 23. Dried hazardous sludge from the process in the plant shall be stored in double lined HDPE pit constructed with R.C.C. or such material which does not react with the waste contained in it.
 24. The storage area should be fenced properly and Sign/Notice Board indicating 'Danger' and 'Hazardous' shall be displayed at appropriate position both in Hindi and English.
 25. The industry shall store non-ferrous metal waste, used oil/spent oil waste in sealed drums placed on impervious floor under covered shed. Hazardous waste if required shall be sold only to Registered Recyclers/Re-processors.
 26. In case of any transportation of hazardous waste, the details in Form-10 of the Hazardous Rules shall be submitted to the Board.

Pik
Regional Officer (1/c)



Regional Office
Uttarakhand Pollution Control Board
E-115, Nehru Colony, Dehra Dun
E-mail : roueppcb@gmail.com,
Phone No.-0135-3593200

UKPCB/ROD/ Con/DDN-2023-24/ 4727 - 1911

Date: 13/02/24
REGD. POST

To,
M/s Hotel Ganga Forest View
Virbhadra Marg, Rishikesh
Distt. Dehradun.

Consolidated Consent to Operate and Authorization hereinafter referred to as the CCA (Consolidated Consent & authorization) (Fresh) under Section-25 of the "Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974" and under Section-21 of the "Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981" and Authorization under "Rule-6(2) of the "Hazardous and other Waste (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016" notified under "Environment (Protection) Act, 1986" as applicable (to be referred hereinafter as Water Act, Air Act and HW Rules respectively).

Application No 3281035

Date 05.12.2022

CCA is hereby granted to M/s Hotel Ganga Forest View at located Virbhadra Marg, Rishikesh Distt. Dehradun subject to the provisions of the Water Act, Air Act and the orders that may be made further and subject to following terms and conditions: -

- This CCA is granted up to 30.09.2024 and valid for manufacturing of following products with Capital Investment / Net Assets Values 82.0 Lakhs:-

S. No.	Last CTE		Present CCA (Fresh)	
	Operation of		Operation of	
1			Hotel Rooms	11 Nos.
2			Restaurant	01 No.

2. Specific Conditions under Water Act:

- The daily quantity of effluent discharge (KLD) :-

	Last CTE	Present CCA (Fresh)
Trade Effluent	-	Nil
Sewage	-	3.8 KLD

- Trade Effluent Treatment and Disposal : NIL.

- Sewage Treatment and Disposal: The applicant shall provide septic tank and soak pit for comprehensive treatment and disposal of domestic waste water as per norms.

3. Conditions under Air Act :-

- The applicant shall use following fuel and install a comprehensive control system consisting of control equipment as is following with reference to generation of emissions and operate and maintain the same continuously so as to achieve the level of pollutants to the following standards :

S. No	Stack attached with	Stack height (Mt)	Type of Fuel	Fuel Quantity KLD/MT D	Emission Control Equipment	Emission standards not to exceed

In case of stoppage of functioning of air pollution control equipment, production to be stopped immediately and 289 should have to be intimated by fax/phone/em. a report in this regard to be dispatched immediately.

Unit has to comply of any provision of this results in legal action

- (ii) Noise from the D.G. Set and other source(s) should be controlled by providing an acoustic enclosure as is required for meeting the ambient noise standards for night and day time prescribed for respective areas/zones (Industrial, Commercial, Residential, Silence) which are as follows :-

Standards for Noise level in db(A) L _{eq}	Industrial Area		Commercial Area		Residential Area		Silence Zone	
	Day time	Night time	Day time	Night time	Day time	Night time	Day time	Night time
	75	70	65	55	55	45	50	40

Day time : from 6.00 a.m. to 10.00 p.m., Night time: from 10.00 p.m. to 6.00 a.m.

4. Conditions under HW Rules :-

- (i) Number of authorization and date of issue : _____
 (ii) The **Factory Manager** of _____ is hereby granted an authorization to operate a facility for collection and storage of Hazardous wastes.
 (iii) The authorization is granted to operate a facility for generation, collection and storage of hazardous wastes within factory premises for following category of wastes.

S.No.	Category (Schedule-I & Schedule-II)	Quantity of Waste for which authorization is being issued (MTA)	Mode of Disposal
	NIL	NIL	NIL

- (iv) The authorization shall be in force for
 (v) The authorization is subject to the conditions stated below and the such conditions as may be specified in the rules for the time being in force under Environment (Protection) Act, 1986.

Terms and conditions of authorization:

- (i) The authorization shall comply with the provisions of the **Environment (Protection) Act, 1986**, and the rules made thereunder.
 (ii) The authorization and its renewal shall be produced for inspection at the request of an officer authorized by the SPCB/PCC.
 (iii) The person authorized shall not rent, lend, sell, transfer or otherwise transport the hazardous wastes without obtaining prior permission of the SPCB/PCC.
 (iv) Any unauthorized changes in personnel, equipment as working conditions as mentioned in the application by the person authorized shall constitute a breach of his authorization.
 (v) It is the duty of the authorized person to take prior permission of the SPCB/PCC to close down the facility.
 (vi) An application for the renewal of an authorization shall be made as laid down under these rules.
 (vii) The unit shall comply with any other conditions specified in the guidelines issued by the MoEF or CPCB/SPCB from time to time.

5. This CCA is valid for **Operation of Hotel & Restaurant only.**

6. **Compulsory documents to be submitted by the Industry/Unit :-**

- (i) Annual return in Form-4 and Waste Disposal Manifest in Form-10 under HW Rules and Third Party Audit Report.
 (ii) Environment Statement in Form-V of Environment (Protection) Rules, 1986.
 (iii) Quarterly compliance report of the CCA, photograph of ETP/APCs/Waste Storage Area.

7. Unit has to apply for renewal of CCA well in advance of 60 days of expiry of this CCA.
 8. Competent Authority reserves the right to change/modify/add any time any condition of this CCA.

290

URPCB

Unit has to comply with the other general conditions as annexed herewith. Non compliance of any provision of this CCA and provisions of the Water Act, Air Act and HW Rules will result in legal action under the aforesaid Acts and Rules.

[Signature]
Regional Officer (I/c)

Copy to: **Member Secretary, Uttarakhand Pollution Control Board, Dehradun** for kind information please.

[Signature]
Regional Officer (I/c)
Annexure

Specific Conditions:

1. The applicant shall submit audited balance sheet of the unit at the end of each financial year so that fee submitted by the applicant could be assessed.
2. A solid waste generated from the hotel has to be disposed in manner so that contamination of surface water bodies/ground water/soil etc. does not take place.
3. The hotel shall take adequate measures to control of noise from its own source so as to comply with the standards as may be applicable.
4. The hotel shall develop green belt within the premises.
5. Hotel will ensure that its kitchen waste/agro waste (biodegradable waste) will be disposed through composting.
6. The hotel shall strictly adhere with the specific and general conditions issued with CCA order. Any violation of stipulated conditions may attract legal action under the provisions of Water Act, Air Act and Environment (Protection) Act and Rules made thereunder.
7. The hotel shall ensure all safety measures and shall undertake periodical assessment by the competent authority.
8. This consent is valid for Operation of 11 Nos. Hotel Rooms and 01 No. Restaurant only. If any change in hotel unit, must be obtained CTE/CTO as per rule.
9. The solid waste shall be disposed as per Solid Waste Management Rule-2016.
10. The waste water generated from the hotel should be treated and-disposed as per norms applicable.
11. The time to time direction issued by Hon'ble Court, MoEF CC, State Government, CPCB, SPCB will be applicable on the hotel.
12. Land use of the hotel should be proper and valid as per the activity. In case any time if it is found that the hotel is not having the valid documents this consent may be revoked.
13. In case of any complaint received against hotel and found correct, this CCA order may be revoked.
14. This CCA shall be issued under the final decision of Hon'ble NGT in matter O.A. No. 463/2022.

General Conditions:

1. The applicant shall get analyse the samples of effluent/emission/hazardous wastes at least once in a three month from the laboratory recognized by the MoE&F and shall report to the UEPPCB.
2. The applicant shall however, not without the prior consent of the Board bring into use any new or altered outlet for the discharge of effluent or gases emission or sewage waste from the unit.
3. Treated waste water and domestic waste water shall be disposed jointly at one disposal point. The applicant shall provide discharge measurement equipment at final disposal point.
4. The applicant shall strictly comply with conditions of this CCA and submit compliance report of stipulated conditions within 30 days of receipt of this CCA. If, at any point of time, it is found that the industry is not complying with stipulated conditions or any further direction/instruction issued by the Board, legal action shall be initiated against the applicant.
5. The applicant shall maintain good house keeping. All valves/pipes/sewer/drains etc. must be leak-proof.
6. The industry shall provide uninterrupted entry to the STP's/ETP's inlet and outlet points, Air Pollution Control equipment and stack for smooth sampling/monitoring of efficiency of pollution control measures.
7. The industry shall provide "Inspection Book" at the time of inspection to the Board's officials.

Unit to be controlled by providing an acoustic standards for night and day time (Commercial, Residential, Silence) which are to be controlled by fax/phone/email

Area	Silence Zone
Day time	Night time
40	40

- 291**
8. Whenever due to any accident or other unforeseen act or event, such emission occurs or is apprehended in excess of standards laid down, such information shall be reported to the Board's offices and all concerned offices. In case of failure of pollution control equipment, the production process connected to it be stopped with immediate effect.
 9. The industry shall operate in a manner so that all emissions be emitted through designated chimney/stack only.
 10. In case of any damage to the agriculture productivity, human habitation etc. by the operation of industry, it shall be imperative to stop production in the industry with immediate effect and such information shall be reported to Board's offices. The industry shall be liable to pay compensation also in such cases as decided by the Competent Authority.
 11. The applicant shall apply before the 60 days of expiry of CCA or any change in production types/ production capacity/manufacturing process/capacity enhancement etc. or any change in effluent discharge point or emission point.
 12. The Board reserves the right to revoke/add/modify any stipulated condition issued along with CCA, as may be necessary.
 13. The person authorized shall not rent, lend, sell, transfer or otherwise transport the hazardous waste without obtaining prior permission of the Board.
 14. Any unauthorized change in personnel, equipment as working condition as mentioned in the application by the person authorized shall constitute a breach of his authorization.
 15. details in the light of Form-14 of the Hazardous Rules shall be submitted to this Board at the earliest.
 16. In no case any hazardous waste shall be disposed off on land, in any drain, or into any water stream. All spillage must also be safely collected and stored.
 17. Before the hazardous waste is stored or dumped in the facility, applicant must conduct a detailed physical and chemical analysis of hazardous waste sample and report to the Board.

Pik
Regional Officer (I/c)



घोषीय कार्यालय

उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
ई-118, गेहरु कॉलोनी, देहरादून-248001
द्वितीयक नं.-0138-2892200.

पत्रांक सा0-यूकेपीसीबी/आरओडी/NGT-55/2023-24/4236 - 1656

दिनांक: 26/12/23

सेवा में,

सदस्य सचिव महोदय,
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"
46बी, आई.टी. पार्क, सहस्रधारा रोड,
देहरादून।

Uttarakhand Pollution Control Board

Diary No. 698

Date 27/12/2023

विषय-मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-463/2022 (I.A No.-46/2023 & I.A. No.47/2023) Vipin Nayyar V.s Union of India & Ors के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक यूकेपीसीबी/एच.ओ./सा.-183-576/2023/1146, दिनांक 22.12.2023 के कम में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा प्रकरण में आच्छादित होटल/रिसोर्ट की अद्यतन स्थिति एवं प्रकरण में I.A No.-46/2023 & I.A. No.47/2023 में reply/response दाखिल किये जाने हेतु प्रकरण से सम्बंधित होटल/रिसोर्ट के सहमति की अद्यतन स्थिति एवं I.A. में Parawise Narrative इस कार्यालय से उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

तत्कम में अवगत कराना है कि मूल आवेदन संख्या संख्या 463/2022 में0 कैफे हाइड आउट रेस्टारेंट, 232/4, बैराज रोड, कोयल घाटी, गंगा विहार कालोनी, ऋषिकेश, देहरादून तथा मै0 होटल गंगा फॉरेस्ट व्यू, वीरभद्र मार्ग, ऋषिकेश, देहरादून के सम्बंध में हैं।

1. मै0 कैफे हाइड आउट रेस्टारेंट, 232/4, बैराज रोड, कोयल घाटी, गंगा विहार कालोनी, ऋषिकेश, देहरादून को दिनांक 30.09.2027 तक सहमति प्राप्त है। (छायाप्रति संलग्न)
2. मै0 होटल गंगा फॉरेस्ट व्यू, वीरभद्र मार्ग, ऋषिकेश, देहरादून पर बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक यूकेपीसीबी/एच.ओ./सहमति जी-230/2023/1598 दिनांक 03.02.2023 के द्वारा रु. -43,500/-की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित की गयी थी। होटल द्वारा उपरोक्त क्षतिपूर्ति राशि बोर्ड मुख्यालय में दिनांक 20.03.2023 को जमा करने की सूचना दी गयी है (छायाप्रति संलग्न) तथा होटल द्वारा जल-वायु सहमति हेतु एप्लीकेशन आई.डी. 3281035 द्वारा आवेदन किया गया था, (छायाप्रति संलग्न) जिसे इस कार्यालय द्वारा दिनांक 21.12.2022 को प्रपत्रों हेतु वापिस कर दिया गया था, जिसे होटल द्वारा वर्तमान तक जमा नहीं किया गया है।
3. प्रकरण से सम्बंधित IA 46 & 47 में दिये गये बिन्दु शासन स्तर से सम्बंधित है।

सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

Signature

(डॉ आर.के. चतुर्वेदी)
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

Handwritten notes and signatures:
JMS
DEO
20/12/23
21/12/23
24/12/23
29/12/23
29/12



LIFE
Lifestyle For
Environment



श्रीलिंग कृष्णम्
ONE PARTH - ONE FAMILY - ONE FUTURE

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
ई-116, नेहरू कॉलोनी, देहरादून-248
टेलीफोन नं.-0135-3693200

कार्यालय उत्तराखण्ड
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
देहरादून
0501-250000

पत्रांक सं०-यूकेपीसीबी/आरओडी/NGT-55 /2023-24/4653 - 1882

दिनांक: 31/01/24

सेवा में,

सदस्य सचिव महोदय,
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"
46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड,
देहरादून।

Deary No. 7929
Date 01/2/24

विषय-मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-463/2022 (I.A No.-46/2023 & I.A. No.47/2023) Vipin Nayyar V.s Union of India & Ors तथा मै० होटल गंगा फॉरिस्ट व्यू, वीरभद्र मार्ग, ऋषिकेश, के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक यूकेपीसीबी/एच.ओ./सा.-183-576/2023/1146, दिनांक 22.12.2023 के क्रम में मा० एन०जी०टी० में प्रकरण में I.A No.-46/2023 & I.A. No.47/2023 में reply/response दाखिल किये जाने हेतु प्रकरण से सम्बंधित होटल/रिसोर्ट के सहमति की अद्यतन स्थिति इस कार्यालय से उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था। तत्कम में इस कार्यालय द्वारा पत्रांक संख्या-यूकेपीसीबी/आरओडी/NGT-55 /2023-24/4236-1656 दिनांक 26.12.2023 द्वारा प्रतिउत्तर प्रेषित किया गया था। प्रकरण पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 04.01.2024 में एक समिति का गठन किया गया। समिति द्वारा दिनांक 05.01.2024 को होटल का निरीक्षण किया गया था। (आख्या संलग्न)। निरीक्षण आख्यानुसार-

1. उक्त होटल में 11 कमरें, 01 स्टोर रूम तथा एक किचन है।
2. घरेलू उत्प्रवाह का निस्तारण सैप्टिक टैंक/सोकपिट के माध्यम से किया जा रहा है। बाहर कोई निस्तारण होता नहीं पाया गया।
3. पूर्व में उक्त होटल पर बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रु.-43,500/-आरोपित की गयी थी, जिसको होटल स्वामी द्वारा बोर्ड में जमा करा दिया गया है।
4. होटल को प्रोविजनल जल/वायु सहमति निर्गत कर दी गयी है।

अतः होटल को निर्गत कारण बताओ निर्देशों को वापिस लिये जाने की संस्तुति सहित आख्या सादर प्रेषित।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

Signature

(डॉ० आर.के. चतुर्वेदी)
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र०)

Compliance monitoring cell
21/1/24
21/1/24

कार्यालय उपजिलाधिकारी, ऋषिकेश, जिला-देहरादून के पत्रांक संख्या 07/एस0पी0प0-विधि पत्रा0 2024, दिनांक 04 जनवरी 2024 के अनुक्रम में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या 463/2022 विधि नैप्यर बनार्तु भारत व अर्था में दिनांक 04.12.2023 को परित आवेश के सार्थ में संयुक्त निरीक्षण दिनांक 05.01.2024 को किया गया, निरीक्षण के समय निम्न बिन्दु प्रकारा में आये:-

- मै0 गंगा फॉरेस्ट ड्यू, 88/88-1, स्टर्डिया कॉलोनी, गली नं.-04, वीरमन्न रोड ऋषिकेश, देहरादून।
 1. उक्त होटल में 11 कमरें, 01 स्टोर रूम तथा एक किचन है।
 2. घरेलू उत्तरवाह का निस्तारण सैण्टिक टैंक/सोकपिट के माध्यम से किया जा रहा है। बाहर कोई निस्तारण होता नहीं पाया गया।
 3. होटल द्वारा जल-वायु अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड से सहमति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया था, जिसे बांछित दस्तावेजों हेतु वापस कर दिया गया था, अतिथि तक पुनः आवेदन जमा नहीं किया गया है।
 4. पूर्व में उक्त होटल पर बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू.-43,500/-आरोपित की गयी थी, जिसको होटल स्वामी द्वारा बोर्ड में जमा करा दिया गया है।
- मै0 हाइड आउट कैफे, 232/4, बैराज रोड, कोयल घाटी, गंगा विहार कालोनी, ऋषिकेश, देहरादून।
 1. उक्त कैफे 45 सीट क्षमता का (सीटिंग कैपेसिटी) रेस्टोरेंट है।
 2. घरेलू उत्तरवाह का निस्तारण सीवर लाईन के माध्यम से किया जा रहा है।
 3. कैफे को दिनांक 30.09.2027 तक बोर्ड से सहमति प्राप्त है।
 4. कैफे में 15 के.वी.ए. का डी.जी.सेट स्थापित है।

अतः आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत।

(संजय डिनरी)
सहा0वैज्ञा0अधि0

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

Pik



जिलाधिकारी
देहरादून।

295

संख्या-8/एस0पी0ए0- एन0जी0डी0 पत्रा0-2024 दिनांक 11 जनवरी 2024
विषय- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन
संख्या-463/2022 विपिन नैय्यर बनाम भारत संघ व अन्य में
दिनांक 04.12.2023 को पारित आदेश को सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त अपने कार्यालय पत्र संख्या 468/एस0पी0सी0-2023 दिनांक 16
दिसम्बर 2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। जिसके द्वारा श्री राहुल वर्मा, अपर महा
अधिवक्ता, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के ई-मेल पत्र दिनांक 08.12.2023 के
साथ संलग्न मा0 मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन
संख्या-463/2022 विपिन नैय्यर बनाम भारत संघ व अन्य में दिनांक 04.12.2023 को पारित
आदेश का सन्दर्भ ग्रहण करते हुये अनुपालन आख्या/रिपोर्ट/रपोट उपलब्ध कराने के निर्देश
दिए गये थे।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के उपरोक्त आदेश के क्रम में वादी विपिन नैय्यर
द्वारा अधिकरण में दाखिल I.A Nos 46/2023 एवं 47/2023 के क्रम में आख्या निम्नवत् है-

1- I.A Nos 46/2023 सिविल प्रक्रिया संहिता के ORDER 01 RULE 10(2) R/W SECTION 151
से सम्बन्धित है। जिसमें वादी सचिव शहरी विकास, उत्तराखण्ड सरकार को प्रतिवादी
संख्या-08 के तौर पर पक्षकार बनाना चाहता है। जिस सम्बन्ध में अद्योहस्ताक्षरियों के स्तर
से टिप्पणी किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

2- I.A Nos 47/2023 सिविल प्रक्रिया संहिता के ORDER 06 RULE 17 R/W SECTION 151 से
सम्बन्धित है। जिसमें वादी द्वारा अभिवचनों में संशोधन के क्रम में उत्तराखण्ड शासन के
शासनादेश संख्या 1743/V-2/58 (आ0) 14/2016 Dated 14-12-2016 एवं 1995/V-2-2017-58
(आ0)/2014 Dated 29.11.2017 को चुनौती दी है।

महोदय उक्त दोनों शासनादेशों के सम्बन्ध में टिप्पणी किए जाने की अद्योहस्ताक्षरियों
के स्तर से आवश्यकता नहीं है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में प्रतिवादी संख्या-03 की
ओर से प्रत्युत्तर प्रेषित किए जाने से पूर्व जिला शासकीय अधिवक्ता से विधिक राय लिया
जाना भी उचित होगा।

Rik
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
देहरादून।

Wjy
नगर आयुक्त
नगर निगम ऋषिकेश।

W L
उप जिलाधिकारी,
ऋषिकेश।
उप जिलाधिकारी
ऋषिकेश